[2021] 6 एस. सी. आर 281

जी. मोहन राव और ओआरएस।

वी.

तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य।

(2020 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1411)

29 जून, 2021

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण कानून (संचालन का पुनरुद्धार,

संशोधन और वैधता) अधिनियम, 2019:

आयोजित की गई संवैधानिक वैधताः 2019 अधिनियम वैध है

विधायी अभ्यास और Art.254-भारत के संविधान के चारों कोनों के अनुरूप है। राज्य विधानमंडल द्वारा 2019 अधिनियम का अधिनियमन-राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता ने तीन राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियमित किए

क़ानून-1978 का अधिनियम, 1997 का अधिनियम और 2001 का अधिनियम-इसके बाद संघ विधानमंडल ने भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 का अधिनियम लागू किया

देश भर में-संघ और राज्य के बीच विरोध

अधिनियम-उन्हें ध्यान में रखते हुए, उचित मुआवजे का अधिकार और

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में पारदर्शिता (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2014 को 2013 के अधिनियम से प्रभावी किया गया था। 105 - 2013 के अधिनियम में एक अंतःस्थापित किया गया, जिससे 2013 के अधिनियम के प्रावधान तीनों के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अप्रयोज्य हो गए।

राज्य अधिनियमों के बाद, 1997 के अधिनियम और 2001 के अधिनियम के साथ 2014 के अधिनियम को 2013 के अधिनियम के प्रतिकूल होने और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

न्यायालय ने राज्य के तीनों कानूनों को खारिज कर दिया और सभी भूमि अधिग्रहणों को रद्द कर दिया

2013 के अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद-रद्द किए गए राज्य अधिनियमों की रक्षा के लिए, राज्य विधानमंडल ने 2019 का अधिनियम-2019 लाया।

के उद्देश्य से 26.09.2013 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था

राज्य अधिनियमों के तहत उस तारीख को और उसके बाद सभी लंबित अधिग्रहणों को मान्य करें, अन्यथा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया-राज्य

2019 अधिनियम को अधिनियमित करने वाली विधायिका, यदि उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने/रद्द करने के प्रभाव के साथ अपनी विधायी क्षमता की सीमाओं का उल्लंघन करती है-आयोजितः 2019 अधिनियम के पीछे विधायी इरादे और विशेष रूप से, द्वारा दी गई सहमति

तिरस्कार पर काबू पाने के लिए भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति

संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के साथ, असंवैधानिक होने के कारण अमान्य घोषित राज्य अधिनियमों के संचालन को पुनर्जीवित करना था

और संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के प्रतिकूल और संशोधन के लिए

उनके सामने जो रखा गया है उसका सार-चिंता विधायिका के सार के साथ है न कि उसके रूप 2019 अधिनियम के रूप में, यह राज्य विधायिका द्वारा 2013 के अधिनियम के बराबर तीन राज्य अधिनियमों के तहत भूमि अधिग्रहण के चार भौतिक पहलुओं को लाने का एक सचेत प्रयास है-मुआवजा, पुनर्वास, पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं-2019 अधिनियम का प्रभाव कानून को पूर्वव्यापी रूप से बदलना है और न्यायालय के फैसले को खारिज नहीं करना है-उच्च न्यायालय के फैसले और 2019 अधिनियम के बीच कोई असंगतता नहीं है-उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013-तमिलनाडु हरिजन कल्याण योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1978-तमिलनाडु औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1997-तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 2001-भारत का संविधान-कला।

254 .

2019 अधिनियम की तिथि का पूर्वव्यापी प्रारंभ-इसका प्रभाव-आयोजितः कहा जाता है कि जिस दिन यह राष्ट्रपति की मंजूरी यू/आर्ट प्राप्त करता है, उस दिन एक कानून बनाया जाता है। 111 या यू/आर्ट। 254 या राज्यपाल का यू/आर्ट। 200 कानून की शुरुआत, कानून बनाने के विपरीत, विधायी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। समय की तारीख सहमति की तारीख होगी और प्रारंभ की तारीख नहीं-2013 के अधिनियम के निर्माण से एक दिन पहले, 2019 के अधिनियम को लागू करना विसंगत प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसकी वैधता या इसके सार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है-तिथि राज्य विधानमंडल द्वारा केवल प्रचुर सावधानी के साथ चुनी गई है और सही है-यह 2013 के अधिनियम के प्रारंभ के अनुरूप तिरस्कार को दूर करने के लिए प्रासंगिक है-किसी भी अन्य व्याख्या को अपनाना न केवल अनुचित होगा, बल्कि पूर्वव्यापी पुनरोद्धार और सत्यापन अधिनियम के उद्देश्य पर भी प्रहार करेगा-उचित मुआवजे का अधिकार और

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में पारदर्शिता

अधिनियम, 2013-भारतीय संविधान-कला। 254 .

राष्ट्रपति की मंजूरी यू/आर्ट। 254 (2) - आवश्यकता-याचिका कि राष्ट्रपति को वास्तविक तिरस्कार नहीं बताया गया था

सहमति प्राप्त करते समय और इस प्रकार, Art.254 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया-आयोजितः राष्ट्रपति से अनुरोध करते हुए राज्य सरकार द्वारा लिखा गया पत्र

सहमति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संचार कला के जनादेश के अनुपालन में था। 254 - भारत का संविधान-कला। 254 .

जी. मोहन राव और ओआरएस। वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य।

रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशनः

एक कानून की अवधारणा का पूर्वव्यापी संचालन -

अतीत को वर्तमान में एक कानून बनाकर और उस समय अतीत में मौजूद कानूनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं। राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता-एक पूर्वव्यापी मान्यकारी अधिनियम का अधिनियमन आयोजित किया गयाः जब शून्यता राज्य के कानून और संसद द्वारा बनाए गए कानून के बीच प्रतिकूलता का परिणाम है,

राज्य विधानमंडल वैधताके आधारकेँ पर्याप्त रूपसँ परिवर्तित करैत आ एकरा पूर्व तिथिसँ पूर्वव्यापी रूपसँ लागू करैत पश्चातवर्ती संशोधन अधिनियमित कऽ एहन राज्य कानूनकेँ पुनर्जीवित कऽ सकैत अछि।

भारत का संविधानः कला. 254 - तिरस्कार की अवधारणा और

इसके कार्यकरण के तहत-समझाया गया।

रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, अदालत ने

2.2 पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की विधायिका की शक्ति संवैधानिक सीमाओं के भीतर होती है। यह मूल से निकलता है सिद्धांत कि एक विधायिका को बड़े पैमाने पर लोक हित का मुख्य नायक माना जाता है। क्योंकि, विधायिका एक लोकतांत्रिक राजनीति का गढ़ है। यह भी बहस से परे है कि एक विधायिका एक विधायी अभ्यास के माध्यम से ऐसी अयोग्यता के कारण को हटाकर एक अमान्य कानून को मान्य कर सकती है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की शक्ति की कुछ न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सीमाएँ हैं। [पैरा 28] [307-ए-सी]

2.3 विधायिका के पास इस विषय पर अधिकार होना चाहिए।

विषय के साथ-साथ एक मान्य कानून बनाने की क्षमता भी।

[2021] 6 एस. सी. आर. होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहले की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ एक स्पष्ट मान्य खंड होना चाहिए। पूर्वव्यापी संचालन होना चाहिए

स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट। कोई स्पष्ट या घोषणात्मक नहीं हो सकता है

न्यायालय के निर्णय का अधिनिर्णय। विधायिका के लिए यह अनुमति है कि वह निर्णय के भौतिक आधार को इस तरह से हटाकर न्यायालय के निर्णय को अप्रभावी बना दे कि न्यायालय उसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता यदि उक्त कथन प्रस्तुत करने के समय सही/संशोधित स्थिति प्रबल होती।

पहले का निर्णय। [पैरा 29] [309-डी-जी]

2.4 जब शून्यता राज्य के कानून और संसद द्वारा बनाए गए कानून के बीच प्रतिकूलता का परिणाम है, यानी संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत शून्यता, द्वारा ऐसे राज्य कानून का पुनरुद्धार

शून्यता के आधार को पर्याप्त रूप से बदलते हुए एक बाद के संशोधन को लागू करना और इसे पूर्व तिथि से पूर्वव्यापी रूप से लागू करना इस न्यायालय द्वारा बार-बार मान्यता प्राप्त है। [पैरा 30] [310-बी-सी]

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन

फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर वी. भारत संघ और ओआरएस। (2003) 5 एससीसी 23: [2003] 3 एस. सी. आर. 1; उजागर प्रिंट और अन्य। (II) v. भारत संघ और अन्य। (1989) 3 एससीसी 488: [1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 770; इंडियन एल्यूमीनियम कं. और

ओआरएस। वी. केरल राज्य और अन्य। (1996) 7 एससीसी 637: [1996] 2 एस. सी. आर. 23; तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य और

एन. आर. (2014) 12 एससीसी 696: [2014] 12 एससीआर 875; पी. एल. मेहरा और अन्य। वी. डी. आर. खन्ना और अन्य। आकाशवाणी 1971 दिल्ली

1 - संदर्भित किया गया।

3.1 उच्च न्यायालय ने अवधारणा को सही ढंग से समझाया है

अनुच्छेद 254 के तहत प्रतिकूलता, लेकिन राज्य अधिनियमों और संसद द्वारा बनाए गए कानून के बीच प्रतिकूलता के वास्तविक अस्तित्व की पहचान करने के लिए इसे उसी तरीके से लागू नहीं किया। स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण की गई प्रतिकूलता की उपस्थिति को मानते हुए, केवल उच्च न्यायालय के समक्ष जांच राज्य के घृणित कानूनों के पुनरुद्धार के तरीके के बारे में थी। इस तरह की जांच करते समय, इसने 2014 के अधिनियम की धारा 105-ए को पुनरुद्धार का एक अस्वीकार्य तरीका पाया और अनुच्छेद 254 (2) के अनुसार फिर से अधिनियम बनाने का आह्वान किया।

संविधान से। यह, उच्च न्यायालय के फैसले का एकमात्र भौतिक आधार था। आश्चर्यजनक रूप से, उच्च न्यायालय ने जी. मोहन राव और ओआरएस को नहीं माना।

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य।

पुनरुद्धार और सत्यापन को बिल्कुल भी खारिज कर दिया और जांच को आधार बनाया

अनुच्छेद 254 (2) का उचित अनुपालन, उसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए बाद के कानून के सामने राज्य के कानून के प्रबल होने का एकमात्र तरीका है। [पैरा 33] [313-सी-एफ]

3.2 प्रतिकृति की अवधारणा का उद्देश्य एक ही क्षेत्र में दो परस्पर विरोधी कानूनों के संचालन को रोकना है ताकि अनिश्चितता और असंगति पैदा हो सके। स्वाभाविक रूप से, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो कानून के विषयों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और यह निर्णय लेंगे कि दोनों में से कौन सा कानून उन पर काम करेगा। इस प्रकार, संविधान अनुच्छेद 254 के रूप में अविभाज्य और स्पष्ट समाधान प्रदान करता है जो यह स्पष्ट करता है कि ऐसी परिस्थितियों में, संसद द्वारा बनाए गए कानून को प्रबल होना चाहिए और विषय

इसके द्वारा शासित किया जाएगा। हालांकि, यह यहीं नहीं रुकता है। यह इस बुनियादी घोषणा से परे जाता है और एक अवसर देता है

विधानमंडल जिसके लिए प्रतिकूल कानून (राज्य विधानमंडल) राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करके इसे पुनर्जीवित करने के लिए था, जिससे राज्य विधानमंडल की क्षमता को प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अनुच्छेद 254 में यह विचार नहीं किया गया है कि संसद द्वारा बनाया गया राज्य का कानून और कानून पूरी तरह से समान होना चाहिए। क्योंकि, यह कहना कि राष्ट्रपति की मंजूरी के माध्यम से पुनरुद्धार के पूरे उद्देश्य को व्यर्थ अभ्यास के रूप में प्रस्तुत करेगा क्योंकि किसी भी राज्य के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान कानून बनाने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वास्तव में, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया ऐसा कोई भी समान और क्लिच्ड कानून निरर्थक होगा। इसके बजाय यह (राज्य) संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन करेगा। निर्विवाद रूप से, अनुच्छेद 254 संघ और राज्य कानूनों के सह-अस्तित्व पर विचार करता है, भले ही यह प्रतिकूल हो, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृति को मंजूरी देने के बाद ही। अलग-अलग शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 254 विकेंद्रीकृत कानून बनाने और इसकी क्षमता को मान्यता देने की अभिव्यक्ति है। राज्य विधानमंडल, ऐसे विचलन के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने पर, उस राज्य के लिए समीचीन व्यवस्था में संशोधन करेगा। [पैरा 34,35] [313-एफ-एच; 314-ए-डी]

3.3 अनुच्छेद 254 (2) को लागू करने के लिए बुनियादी अवयवों को इस प्रकार नोट किया जा सकता हैः ((i) राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून।

(इस मामले में 2019 का अधिनियम); (ii) ऐसा कानून समवर्ती सूची में आने वाले विषय पर बनाया गया है ([2021] 6 एस. सी. आर. में समवर्ती सूची की प्रविष्टि-42।

संसद और राज्य विधि द्वारा बनाई गई विधि के बीच और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने पर उस प्रतिकूलता को अप्रासंगिक बनाना। तत्काल मामले में, राज्य विधानमंडल विधिवत संसद (2013 अधिनियम) द्वारा बनाए गए एक कानून की उपस्थिति में समवर्ती सूची के एक विषय पर 2019 अधिनियम (राज्य कानून) पारित किया गया और उस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की गई।

02.12.2019 राष्ट्रपति के समक्ष राज्य के कानून को विधिवत रखने और अपनी सहमति के लिए इसे आरक्षित करने का कारण विधिवत बताने के बाद। एक प्राथमिकता, यह अनुच्छेद 254 (2) के अनुपालन में है। [पैरा 37] [314-एच; 325-ए-ई]

3.4 इसके बाद किसी भी प्रतिकूलता को इंगित करने का पूरा अभ्यास

एक मान्यकारी अधिनियम ने राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर ली है। क्योंकि, अनुच्छेद 254 (2) का पूरा उद्देश्य पुनर्जीवित करना और

ऐसे अधिनियम में किसी प्रतिकूल अधिनियम या प्रतिकूल प्रावधानों को लागू करना। क्योंकि, संविधान राज्यों के साथ-साथ सूची-III में आने वाले विषयों पर समवर्ती शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 254 (2) की आवश्यकताओं का विधिवत पालन करने के बाद, न्यायालय के पास कानूनों के बीच प्रतिकूलता की पहचान करके हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि अनुच्छेद 254 (2) के तहत संविधान की मंजूरी के अनुसार इसे पहले ही पहचाना, स्वीकार और मान्य किया जा चुका है। इस तरह के अभ्यास में शामिल होना सहज ज्ञान युक्त होगा।

इसके अलावा, न्यायालय को अनुच्छेद 254 (2) के अनुपालन में बनाए गए कानून को केवल तिरस्कार के आधार पर रद्द नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसे मामलों में तिरस्कार को संवैधानिक बना दिया गया है।

इसे अलग तरह से रखने के लिए, अनुच्छेद 254 के खंड (2) के संदर्भ में अभ्यास में शामिल होने का उद्देश्य, अस्तित्व का अनुमान लगाता है -

तिरस्कार और इस तरह की तिरस्कार को दूर करने का इरादा है। इसलिए, तत्काल मामले में याचिकाकर्ताओं का तिरस्कार को उजागर करने का प्रयास गलत है, कमजोर है और अप्रासंगिक। [पैरा 39] [316-सी-एफ] जी. मोहन राव और ओआरएस।

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य।

3.5 क्योंकि, उच्च न्यायालय के फैसले में अनुच्छेद 254 (2) की उचित पूर्ति के लिए फिर से अधिनियम बनाने का आह्वान किया गया था। अधिनियम बनाते समय

2019 अधिनियम, राज्य विधानमंडल ने न तो व्यक्तिगत रूप से 1997 के अधिनियम और 2001 के अधिनियम को नए विधेयकों के रूप में सदन के समक्ष रखा, न ही मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्वास के प्रावधानों को शामिल करने के लिए उक्त तीन अधिनियमों के लिए संशोधन अधिनियम पेश किए। इसके बजाय, इसने एक विधेयक तैयार किया जो चार उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता था-पहला, राज्य के अधिनियमों में संशोधन करने के लिए

संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुरूप उन्हें लाने के लिए मुआवजे के विभिन्न प्रावधान; दूसरा, पुनर्वास, पुनर्वास और बुनियादी ढांचे से संबंधित नए प्रावधान जोड़ें। 2013 के अधिनियम के समतुल्य सुविधाएँ; तीसरा, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल और शून्य घोषित अधिनियमों को पुनर्जीवित करना और विधानसभा में इस विधेयक को पारित करने और राष्ट्रपति के समक्ष रखने के बाद उन्हें मान्य करना; और चौथा, राज्य विधानों के तहत पिछले सभी अधिग्रहणों की वैधता को बहाल करना, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पूर्वव्यापी तिथि से अधिनियम को लागू करके रद्द कर दिया गया था। [पैरा 40] [316-एफ-एच; 317-ए-बी]

3.6 अधिनियमन या पुनः अधिनियमन में विधायिका में एक विधेयक पेश करना, विधेयक को पढ़ना शामिल है जैसा कि में अनिवार्य है

विधानसभा के आचरण के नियम, जिन्हें विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है, उन्हें राज्यपाल या राष्ट्रपति (यदि आवश्यक हो) के समक्ष रखा जाता है। इस तरह का विधेयक या तो सभी मौजूदा और नए प्रावधानों को नए सिरे से चित्रित कर सकता है या उन प्रावधानों को संदर्भ के रूप में शामिल कर सकता है। बाद वाला संदर्भात्मक कानून की श्रेणी में आएगा, जैसा कि तत्काल मामले में किया गया था। यह निवेदन कि इस तरह का संदर्भित कानून अस्वीकार्य है और पुनः अधिनियमित करने का मतलब होगा कि 1997 के अधिनियम और 2001 के अधिनियम के समान प्रावधानों वाले नए बिल पेश करना, कमजोर है। किसी भी भौतिक अंतर के परिणामस्वरूप दोनों में से किसी भी विधि का पालन नहीं किया जाएगा। विधायिका ने प्रावधानों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया है क्योंकि 2019 अधिनियम को तीन भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग विशेष रूप से इसके लिए समर्पित है।

संबंधित राज्य अधिनियम। [पैरा 41] [317-सी-ई]

3.7 2019 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण उस पृष्ठभूमि को दर्शाता है जिसमें यह सोचा गया था उच्च [2021] 6 एस. सी. आर. द्वारा प्रतिकूल घोषित संबंधित राज्य अधिनियमों के पुनरुद्धार के लिए इस तरह के विधायी साधन का सहारा लेना उचित है।

एक निश्चित तरीके से बनाए जाने के लिए कानून जब तक और जब तक नहीं यह संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है। [पैरा 44] [323-सी]

3.9 विधायिका की पूर्ण शक्ति इन तक सीमित नहीं है -

सातवीं अनुसूची के संदर्भ में विधान का सार, लेकिन विधान के रूप के निर्धारण तक भी फैला हुआ है। यह कहने के लिए कि विधायी गतिविधि के एक विशेष रूप की अनुमति नहीं है, संविधान में एक मजबूत आधार की आवश्यकता होगी, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा इंगित नहीं किया गया है। संविधान में विधायी क्षमता के अस्तित्व की न्यायिक समीक्षा और कुछ ऐसा अधिनियमित करने के लिए ऐसी क्षमता के उपयोग की परिकल्पना की गई है जो भाग-III या संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। यह किसी विधान की प्रसाधनिक विशेषताओं की समीक्षा की परिकल्पना नहीं करता है जब तक कि इस तरह के विधान के सार की जड़ें संविधान में हैं। [पैरा 45] [324-एफ-जी; 325-ए]

गिरनार ट्रेडर्स (3) v. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2011) 3 एससीसी 1: [2011] 3 एस. सी. आर. 1; कृष्ण चंद्र गंगोपाध्याय और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1975) 2 एस. सी. सी. 303 [1975] सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 151; उजागर प्रिंट्स और जी. मोहन राव और ओ. आर. एस.

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य।

ओआरएस। (II) v. भारत संघ और अन्य। (1989) 3 एससीसी 488:

[1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 770-पर निर्भर।

3.10 2019 का अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा भूमि अधिग्रहण के चार भौतिक पहलुओं को 2013 के अधिनियम के बराबर तीन राज्य अधिनियमों के तहत लाने का एक सचेत प्रयास है।

क्षतिपूर्ति, पुनर्वास, पुनर्वास और बुनियादी ढांचा

सुविधाएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद द्वारा बनाए गए घोषित कानून की कुछ विशेषताओं को छोड़ दिया गया है। यह कहना कि राज्य में संसद द्वारा बनाए गए कानून के सभी प्रावधानों को लागू करने में विफलता

अधिनियमों के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए दोषों को दूर नहीं किया जाता है, यह उच्च न्यायालय के फैसले का एक स्पष्ट गलत अध्ययन है। [पैरा 46] [325-बी-डी] 3.11 जबकि, उच्च न्यायालय का निर्णय मुआवजे/पुनर्वास/के अभाव की ओर भी इशारा नहीं करता है।

राज्य अधिनियमों में एक दोष के रूप में पुनर्वास/बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रावधान। यह कहीं भी राज्य के अधिनियमों के सटीक प्रावधानों की ओर इशारा नहीं करता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल हैं। उच्च न्यायालय द्वारा इंगित एकमात्र दोष धारा 105-ए (01.01.2014 से प्रभावी) की अनिवार्यता थी, जो राज्य द्वारा बनाए गए कानून के कारण एक बार (27.09.2013 पर) प्रतिकूल साबित होने वाले राज्य अधिनियमों को पुनर्जीवित करने के लिए एक उपकरण के रूप में थी।

संसद। राज्य को तब से सलाह दी गई है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए उस दोष को स्वीकार करे और राज्य को मान्य करने के लिए एक नया विधायी उपकरण तैयार करके उस विचार प्रक्रिया से आगे बढ़े।

अनुच्छेद 254 (2) के अनुरूप अधिनियम। यदि विधायिका ने उच्च न्यायालय द्वारा अयोग्यता की घोषणा के बाद भी धारा 105-ए को फिर से अधिनियमित किया होता, तो यह उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए दोष को न हटाने का मामला होता। वास्तव में, यह विधायिका द्वारा न्यायालय के फैसले का घोषणात्मक अतिनिर्णय होता, जो कि केवल अस्वीकार्य है। 2019 का प्रभाव

अधिनियम कानून को पूर्वव्यापी रूप से बदलने के लिए है न कि न्यायालय के फैसले को रद्द करने के लिए। [पैरा 47] [325-डी-जी]

3.12 आश्चर्यजनक रूप से, उच्च न्यायालय ने कहीं भी पुनरुद्धार और सत्यापन पर प्रतिबंध जारी नहीं किया। इसने केवल एक विशेष को अस्वीकार किया।

पुनरुत्थान का तरीका। यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण को लागू करना कि क्या कोई निर्णय रद्द कर दिया गया है, यह देखने के लिए है कि क्या कानून और निर्णय [2021] 6 एस. सी. आर.

असंगत और अपरिवर्तनीय हैं ताकि दोनों एक साथ खड़े न हो सकें, उच्च न्यायालय के फैसले और 2019 अधिनियम के बीच कोई अपरिवर्तनीयता नहीं है। 2019 का अधिनियम एक विकास है, जो पहले की स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं है। यहाँ तक कि इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि अंतिम प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या न्यायालय ने वही निर्णय दिया होता

परिस्थितियां बदली हुई हों, उच्च न्यायालय के आदेश में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि न्यायालय आज भी उसी निर्णय पर पहुंच गया होगा। क्योंकि, अनुच्छेद 254 (2) के तहत निर्धारित विधि का अब पालन किया गया है। [पैरा 48,49] [326-बी-डी]

तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य और अन्र। (2014) 12

एससीसी 696: [2014] 12 एससीआर 875; श्री पृथ्वी कॉटन

मिल्स लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम ब्रोच बरो नगरपालिका और

ओआरएस। (1969) 2 एससीसी 283: [1970] 1 एससीआर 388-निर्भर

पर।

कर्नाटक राज्य और अन्य। वी. कर्नाटक पॉन ब्रोकर्स एसोसिएशन और अन्य। (2018) 6 एससीसी 363: [2018] 10 एससीआर

409 – प्रतिष्ठित।

पं. ऋषिकेश और अन्र। वी. सलमा बेगम (1995) 4 एससीसी

718 [1995] 3 एस. सी. आर. 1062-संदर्भित।

4. तत्काल मामले में, राज्य सरकार द्वारा सहमति के लिए लिखा गया पत्र संख्या 13566/रेव-डी. एफ. जी./2019-1 दिनांक 25.07.2019

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तीन राज्य अधिनियम अर्थात। तमिलनाडु हरिजन कल्याण योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1978; तमिलनाडु औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1997; और तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 2001 तेजी से अधिग्रहण के उद्देश्य से बनाए गए थे। इसमें आगे कहा गया है कि द्वारा बनाया गया कानून

संसद ने उच्च न्यायालय के फैसले के कारण तीनों अधिनियमों को अप्रिय और अनुपयोगी बना दिया। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य की काफी रुचि है, जिसका एक मजबूत प्रभाव है

तीन राज्य अधिनियमों को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी खजाने को। यह संसद द्वारा बनाए गए कानून को भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा उचित विचार के लिए राज्य अधिनियमों के रास्ते में आ सकता है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि संचार जी. मोहन राव और ओआरएस के जनादेश के अनुपालन में था।

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य।

अनुच्छेद 254 के साथ-साथ कैसर-आई-हिंद प्राइवेट में इस न्यायालय के निर्णय के साथ। लिमिटेड मामला। [पैरा 52] [329-डी-एफ]

कैसर-आई-हिंद प्रा. लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. राष्ट्रीय वस्त्र निगम। (महाराष्ट्र उत्तर) लिमिटेड और अन्य। (2002) 8 एस. सी. सी 182: [2002] 2 पूरक। एस. सी. आर. 555- निर्भर।

5.1 प्रस्तुत करना कि 26.09.2013 से पूर्वव्यापीता

उस तारीख को 2019 अधिनियम के लिए घातक था, कोई 2013 अधिनियम लागू नहीं था और जब 2013 अधिनियम लागू हुआ

संघ और राज्य उस समय से सक्रिय हो गए हैं। जैसा कि वे बनाने की तारीख से संबंधित हैं। इस प्रकार, प्रतिकूलता की जाँच के लिए, समय का प्रासंगिक बिंदु सहमति देने की तारीख होगी, न कि प्रारंभ की तारीख। [पैरा 53] [329-जी; 330-ए-डी]

केरल राज्य और अन्य। वी. मार अप्प्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड और अन्र। (2012) 7 एससीसी 106: [2012] 4 एससीआर 448 -

पर भरोसा किया।

21] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5.2 किसी कानून के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग का प्राथमिक उद्देश्य एक अवांछनीय पिछली परिस्थिति को बदलना है और यह उन चीजों पर लागू होता है जो पहले ही हो चुकी हैं। इसलिए, पूर्वव्यापीता का अंतर्निहित उद्देश्य सत्यापन सहित इलाज करना है।

वर्तमान में कानून बनाकर अतीत के कुछ लेन-देन

और उस समय अतीत में मौजूद कानूनों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना। इस मामले में, उद्देश्य तीन राज्य अधिनियमों के तहत पिछले अधिग्रहणों को बचाना और मान्य करना था, जो 2013 के अधिनियम के प्रारंभ तक वैध थे, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के कारण रद्द कर दिए गए थे। यह उस समय मौजूद कानून के आधार को बदलने और 2013 के अधिनियम के बराबर लाभ प्रदान करने के लिए भी था, जहां तक यह राज्य विधानमंडल के विवेक में उपयुक्त था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह असंगत लग सकता है

राज्य विधायिका केवल प्रचुर सावधानी के माध्यम से और ठीक है। यह स्पष्ट रूप से तिरस्कार को दूर करने के लिए प्रासंगिक है। 2013 के अधिनियम के प्रारंभ के अनुरूप। किसी भी अन्य व्याख्या को अपनाना न केवल संवैधानिक योजना के अनुसार अनुचित होगा, बल्कि एक पूर्वव्यापी पुनर्जीवित करने और अधिनियम को मान्य करने के उद्देश्य पर भी प्रहार करेगा। [पैरा 54] [330-जी; 331-सी-एफ]

हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानून-संदर्भित।

सागीर अहमद और अन्र। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। आकाशवाणी 1954 एससी 728: [1955] एससीआर 707; भारत संघ और ए. एन. आर. वी. तारसेम सिंह और अन्य। (2019) 9 एससीसी 304: [2019] 13 एस. सी. आर. 49 नागपुर सुधार न्यास और ए. एन. आर. वी. विठ्ठल राव

& ओआरएस। (1973) 1 एस. सी. सी. 500 [1973] 3 एस. सी. आर. 39; पी. वज्रवेलु मुदलियार और अन्र। वी. भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष उप कलेक्टर, पश्चिम मद्रास और अन्र। आकाशवाणी 1965 एससी 1017: [1965] एससीआर 614; बी. के. पवित्रा और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (2019) 16 एससीसी 129: [2019] 7 एस. सी. आर. 1086; जाओरा शुगर मिल्स (पी) लिमिटेड v. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। [1966] 1 एससीआर 523; एम. पी. वी. सुंदररामियर एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्र। [1958] 1 एस. सी. आर. 1422; गुजरात राज्य और अन्र। वी.

. मोहन राव और ओआरएस। वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य।

एससीसी 656: [1974] 3 एस. सी. आर. 760; देवी दास गोपाल कृष्णन और अन्य। वी. पंजाब राज्य [1967] 3 एस. सी. आर. 557; नगरपालिका समिति, अमृतसर और अन्र। वी. पंजाब राज्य [1969] 3 एस. सी. आर. 447; मध्य प्रदेश राज्य बनाम। जी. सी. मंडावर [1955] 1 एस. सी. आर. 599-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1955] 1 एससीआर 707

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[2019] 13 एससीआर 49

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[1973] 3 एससीआर 39

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[1965] 1 एससीआर 614

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2019] 7 एससीआर 1086

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

[1966] 1 एससीआर 523

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[1958] 1 एससीआर 1422

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1974] 3 एससीआर 760

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1967] 3 एससीआर 557

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1969] 3 एससीआर 447

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1955] 1 एससीआर 599

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[2014] 12 एससीआर 875

पैरा 28

संदर्भित किया गया है

[2003] 3 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

[1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 770 को संदर्भित किया गया

पैरा 28

[1996] 2 एससीआर 23

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

पैरा 30

आकाशवाणी 1971 दिल्ली 1

संदर्भित किया गया है

[1995] 3 एससीआर 1062

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

[2011] 3 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 45

[1975] पूरक। एससीआर 151

उस पर भरोसा करें

पैरा 45

उस पर भरोसा करें

[1988] 3 पूरक। एससीआर 770

पैरा 45

[2018] 10 एससीआर 409

प्रतिष्ठित

पर भरोसा किया।

[2014] 12 एससीआर 875

पै

रा 49

[1970] 1 एससीआर 388

उस पर भरोसा करें

पै

रा 49

[2002] 2 पूरक। एस. सी. आर. 555 पर निर्भर

पै

रा 52

[2012] 4 एससीआर 448

उस पर भरोसा करें

पै

रा 53

सिविल मूल न्यायिक रिट याचिका (सिविल)

2020 का सं. 1411।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के साथ

डब्ल्यू. पी. (ग) संख्या। 173 और 2021 का 174

K.K.Venugopal, एजी। , बालाजी श्रीनिवासन, एएजी। , विजय नारायण, अधिवक्ता।

जनरल, पी. विल्सन, अमन सिन्हा, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम. योगेश कन्ना, राजा राजेश्वरन एस., आदित्य चड्ढा, सुश्री उमा प्रसुन बाचू,

सिद्धांत कोहली, सुश्री पल्लवी सेनगुप्ता, डी. कुमानन, रिचर्डसन विल्सन, ए. मोहन राज, सुश्री चारुलता चौधरी, सुश्री सुह्रित पार्थसारथी, सुश्री रश्मि नंदकुमार, शंकर नारायणन, सुश्री अमृता सत्यजीत, सुश्री

आयुषमा अवस्थी, सेंथिल जगदीसन, एम. थंगथुराई, सुश्री मृणाल कंवर, सुश्री सोनाक्षी मल्हन, सुश्री सुरीती चौधरी, संदीप कुमार महापात्रा, सुगम कुमार झा, सुश्री मृण्मयी साहू, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

पी. विल्सन, मुकुल रोहतगी, अमन सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डी. कुमानन,

रिचर्डसन विल्सन, सेंथिल जगदीशन, एम. थंगाथुराई, सुश्री मृणाल कंवर, सुश्री सोनाक्षी मल्हन, सुश्री सुरीती चौधरी, प्रवेश ठाकुर, निकलेश रामचंद्रन, एन. सुब्रमण्यन, प्रणव सचदेवा, जतिन भारद्वाज, सुश्री सुहरित पार्थसारथी, सुश्री रश्मि नंदकुमार, शंकर नारायणन, सुश्री अमृता सत्यजीत, सुश्री आयुषमा अवस्थी, संदीप कुमार महापात्रा, सुगम कुमार झा, सुश्री मृण्मयी साहू, वी. बालाजी, सी. कन्नन, सुश्री नेहा सिंह, राकेश के. शर्मा, सुश्री दीपिका।

नंदकुमार, नरेश कुमार, सौरभ मिश्रा, ओंकार सिंह, सुश्री नेहा त्रिपाठी। अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. भारतीय संविधान शासन की एक संरचना निर्धारित करता है।

जिसमें राज्य के तीनों अंगों को स्वतंत्र कार्य सौंपे गए हैं। विधायिका कानून पर कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को निष्पादित करती है और न्यायपालिका संरक्षक जी. मोहन राव और ओआरएस के रूप में अपनी प्राथमिक भूमिका के आलोक में कानून को लागू करती है।

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

संविधान से। इस प्रकार, हम भारत के लोगों ने नियंत्रण और संतुलन हासिल करने के लिए शक्तियों के पृथक्करण की प्रणाली को अपनाया है। नतीजतन, सरकारी संस्थानों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में कई बार तीन अंगों के बीच "अतिक्रमण" के बारे में धारणा सामने आती है। इस मामले में भी ऐसी ही शिकायत की गई है। वह सीमा और तरीका जिसमें किसी विधान की असंवैधानिकता के न्यायिक निर्धारण के आधार को विधायिका द्वारा बाद में अधिनियमित करके बदला जा सकता है

संवैधानिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किए बिना कानून को मान्य या पुनर्जीवित करना इस मामले में महत्वपूर्ण मुद्दा है।

ब्रीफ में तथ्य

2. वर्तमान मामला विभिन्न मंचों पर कार्यवाही की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम है। पूरी कहानी को पार करना प्रासंगिक नहीं हो सकता है क्योंकि

हाथ में प्रश्न का निर्धारण। इस प्रकार, हम एक उचित परिप्रेक्ष्य के लिए केवल प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में चित्रित कर रहे हैं।

3. भूमि के रूप में संसाधन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक आवश्यक आवश्यकता है। उसी समय, संपत्ति के अधिकार अधिकारों के पदानुक्रम में व्यक्तियों का हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। व्यक्तियों के संपत्ति के अधिकार और समग्र विकास के प्रति राज्य के कर्तव्य के बीच इस स्पष्ट संघर्ष को हल करने के लिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-1 को संक्षिप्त शीर्षक के साथ पूरे देश के लिए एक समान कानून के रूप में अधिनियमित किया गया थाः

" जनता के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कानून में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम

उद्देश्यों और कंपनियों के लिए "।

1894 का अधिनियम पूरे देश में लागू था। 1950 के बाद, जब संविधान लागू हुआ, हमने इस सिद्धांत को अपनाया -

शक्तियों का वितरण और संघ की विधायी क्षमता और

राज्यों। इसे संघ सूची (सूची-I), राज्य सूची (सूची-II) और समवर्ती सूची (सूची-III) के आधार पर अलग किया गया था। समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में, केंद्र और राज्यों को दिया गया है

कानून बनाने के लिए समवर्ती शक्तियाँ। इसके अनुसरण में, तमिल राज्य

नाडु ने तीन सार्वजनिक उद्देश्यों को निर्धारित किया जिनके लिए एक अलग भूमि अधिग्रहण कानून की परिकल्पना की गई थी। तीन क्षेत्र राजमार्ग, उद्योग और हरिजन कल्याण योजनाएँ थीं। तदनुसार, तमिलनाडु विधानसभा ने तमिलनाडु हरिजन कल्याण योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1978 2, तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू किया।

1 संक्षेप में, "1894 अधिनियम"

2 संक्षेप में, "1978 अधिनियम" [2021] 6 एस. सी. आर.

औद्योगिक प्रयोजन अधिनियम, 1997 3 और तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 20014 के लिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1894 के अधिनियम के अलावा, भूमि अधिग्रहण का क्षेत्र था

यह संसद द्वारा बनाए गए एक अन्य अधिनियम द्वारा भी शासित है जो एक विशेष कानून है, अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956। यह अधिनियम कुछ राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को शक्ति प्रदान करने सहित उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। चूंकि भूमि अधिग्रहण के संबंध में एक ही क्षेत्र में काम करने वाली संसद द्वारा एक कानून बनाया गया था, इसलिए राज्य ने प्रतिकूलता से बचने के लिए अनुच्छेद 254 के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त की और इस प्रकार, राज्य में उपरोक्त राज्य अधिनियम प्रबल हुए।

4. क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनर्वास से संबंधित उपायों सहित कुछ पहलुओं पर 1894 का अधिनियम अपर्याप्त पाया गया। पुनर्वास, और इस प्रकार, संसद ने निष्पक्षता का अधिकार अधिनियमित किया

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता अधिनियम, 20136। इस अधिनियम को 27.09.2013 पर भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिली और यह W. E. F. 01.01.2014 से लागू हुआ। 2013 के अधिनियम में एक विशेष प्रावधान-धारा 105-यह घोषणा करने के लिए किया गया था कि इस अधिनियम का चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि अधिग्रहण से संबंधित संसद द्वारा किए गए कुछ अधिनियमों पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। हालाँकि, यह उप-धारा (3) के अधीन था, जिसके तहत केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिसूचना जारी करने की शक्ति दी गई थी, यह अधिसूचित करने के लिए कि 2013 अधिनियम के प्रावधान चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत भूमि अधिग्रहण के मामलों पर लागू होंगे, जो मुआवजे के निर्धारण, पुनर्वास और पुनर्वास से संबंधित हैं जो प्रभावित परिवारों के लिए ऐसे अपवादों या संशोधनों के साथ फायदेमंद हैं जो निर्धारित हैं। इसके बाद, एस. ओ. 2368 (ई) के माध्यम से केंद्र सरकार ने मुआवजे (पहली अनुसूची), पुनर्वास और पुनर्वास से संबंधित प्रावधानों को बढ़ा दिया। (अधिनियम की चौथी अनुसूची (जिसमें 1956 का अधिनियम शामिल है) में रखे गए अधिनियमों के साथ-साथ 2013 के अधिनियम में दी गई दूसरी अनुसूची) और बुनियादी सुविधाओं (तीसरी अनुसूची) का विस्तार करने के लिए।

अधिग्रहण की सभी श्रेणियों के लिए 2013 अधिनियम का लाभ

उद्देश्य।

3 संक्षेप में, "1997 अधिनियम" 4 संक्षेप में, "2001 अधिनियम" 5 संक्षेप में, "1956 अधिनियम" 6 संक्षेप में, "2013 अधिनियम" जी. मोहन राव और ओआरएस।

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

5. 2013 के अधिनियम की चौथी अनुसूची के साथ पठित धारा 105 की तर्ज पर, तमिलनाडु राज्य ने भी अपने तीन राज्य अधिनियमों-1978 अधिनियम, 1997 अधिनियम और 2001 अधिनियम को 2013 के अधिनियम के संचालन से बचाने और सुरक्षित रखने की मांग की क्योंकि उसने अपने स्वयं के विधानों को समीचीन पाया। इस उद्देश्य के लिए, एक राज्य संशोधन, अर्थात् भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 20147 को 2013 के अधिनियम में लागू किया गया था, जिसके तहत 2013 के अधिनियम में धारा 105-ए को जोड़ा गया था। 2014 के अधिनियम के संदर्भ में राज्य संशोधन के उद्देश्य ने 2013 के अधिनियम के प्रावधानों को 2013 के अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में उल्लिखित तीन राज्य अधिनियमों के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए लागू नहीं किया, जिसे उसी राज्य संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा भी जोड़ा गया था। इस प्रकार, राज्य विधानमंडल ने एक नई अनुसूची पाँचवीं जोड़ी।

2013 के अधिनियम के लागू होने के बाद। हालाँकि, 2013 के अधिनियम में धारा 105 ए और पाँचवीं अनुसूची को शामिल करके तीन राज्य अधिनियमों की रक्षा और संरक्षण के लिए यह विधायी कवायद घातक साबित हुई, जैसा कि बुनियादी ढांचे में देखा गया है। 6. 1997 के अधिनियम और 2001 के अधिनियम के साथ 2014 के अधिनियम को मुख्य रूप से मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई।

2013 के अधिनियम के प्रतिकूल होने और राज्य अधिनियमों के संचालन में स्पष्ट मनमानेपन और भेदभाव के कारण अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के दो आधारों पर। उल्लेखनीय है कि 18.09.2014 पर, उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू. पी. में एक अंतरिम आदेश जारी किया। (ग) 24182/2014 ने अधिग्रहण की कार्यवाही को आगे बढ़ने दिया।

इस चेतावनी के साथ कि कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा और भूमि पर कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने याचिकाओं के एक समूह में 03.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 22448/20188 मुख्य मामले के रूप में, मामले में चार मुद्दे इस प्रकार बनाए गए:

" मुद्दे:

74. इसलिए जिन मुद्दों पर हम विचार कर रहे हैं, वे इस प्रकार हैं:

7 संक्षेप में, "2014 अधिनियम"

8 (2019) 5 एमएलजे 641 [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1) क्या राज्य के अधिनियम अंतर्निहित होने के कारण अमान्य हैं?

मनमानी?

धारा 105 ए को मंजूरी?

3) क्या विवादित राज्य अधिनियम एक बार घृणित हो गए थे

संसद ने नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 'बनाया'। अगर ऐसा है तो

तमिलनाडु द्वारा जोड़ी गई धारा 105 ए को राष्ट्रपति की मंजूरी

2015 का अधिनियम संख्या 1, तीनों अधिनियमों को पुनर्जीवित करता है?

4) क्या धारा 105 ए (2) और (3) के प्रावधान अनिवार्य हैं, और

यदि ऐसा है, तो क्या इन प्रावधानों का पालन न करना उनके लिए घातक है

इन अधिनियमों की वैधता "।

7. उच्च न्यायालय ने 03.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से

अनुच्छेद 14 के उल्लंघन और राष्ट्रपति द्वारा सहमति देते समय विवेक का उपयोग न करने के संबंध में चुनौती को खारिज कर दिया। हालाँकि, प्रतिकूलता के मुद्दे पर, यह पाया गया कि राज्य के अधिनियम 2013 के अधिनियम के प्रतिकूल हो गए और इस प्रकार, 27.09.2013 पर ही (2013 के अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी की तारीख) अमान्य हो गए। परिणामस्वरूप, 2014 के अधिनियम डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2014 के बाद के अधिनियमन से तीनों अधिनियमों को फिर से सक्रिय नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य अधिनियमों को संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार राष्ट्रपति की नई सहमति के बाद विधानसभा द्वारा पुनः अधिनियमित करके ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। एक परिणामी आदेश के रूप में, इसने तीन अधिनियमों के तहत सभी लंबित अधिग्रहण कार्यवाही को भी रद्द कर दिया।

27.09.2013 . उक्त निर्णय इस न्यायालय के समक्ष संबद्ध लेकिन अलग कार्यवाही में चुनौती के अधीन है और हम उचित स्तर पर इसे विज्ञापन दे सकते हैं, जब भी आवश्यकता हो

उपस्थित

मामला।

8. 19.07.2019 पर, राज्य सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया

एक विधायी साधन का उपयोग करके उच्च न्यायालय द्वारा तीनों अधिनियमों को अमान्य और असंवैधानिक माना गया। इसने तमिलनाडु हरिजन कल्याण योजना अधिनियम, 1978, तमिलनाडु औद्योगिक उद्देश्यों के

लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1997 और तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 2001 के संचालन को पुनर्जीवित करने के लिए एक विधेयक विधानसभा में पेश किया। यह विधेयक विधानसभा द्वारा "द तमिलनाडु लैंड" शीर्षक से पारित किया गया था।

अधिग्रहण कानून (संचालन, संशोधन और वैधता का पुनरुद्धार) अधिनियम, 2019 9 "। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया था।

9 संक्षेप में, "2019 अधिनियम" जी. मोहन राव और ओआरएस।

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अनुच्छेद 254 (2) और इसे 02.12.2019 पर दिया गया था। विशेष रूप से, 2019 अधिनियम को राज्य अधिनियमों के तहत उस तारीख को और उसके बाद सभी लंबित अधिग्रहणों को मान्य करने के उद्देश्य से 26.09.2013 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था, अन्यथा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। 2019 का उक्त अधिनियम इसके बाद वर्णित आधारों पर याचिकाओं के तत्काल समूह में हमारे सामने चुनौती के अधीन है।

दलों की सामग्री

9. याचिकाकर्ता वे भूमि मालिक हैं जिनकी भूमि 1997 के अधिनियम और 2001 के अधिनियम के तहत अधिग्रहित करने की मांग की गई है। का प्राथमिक विवाद

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि असंवैधानिक अधिनियमों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा अपनाया गया विधायी उपकरण उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने और रद्द करने का एक सीधा प्रयास है और यह संवैधानिक योजना में अस्वीकार्य है क्योंकि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अस्वीकृति के कारण असंवैधानिक घोषित होने पर, राज्य विधानमंडल के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प यह था कि अप्रिय क्षेत्रों को हटाने के बाद अप्रिय अधिनियमों को फिर से लागू किया जाए और इसे विधानसभा में नए सिरे से पारित किया जाए, जिसके बाद एक नया राष्ट्रपति का गठन किया जाए।

सहमति दें। यह भी आग्रह किया जाता है कि अनुमेय विधि यह है कि न्यायालय द्वारा बताई गई विसंगतियों को सुधारकर निर्णय के भौतिक आधार को हटा दिया जाए और कानून को फिर से लागू किया जाए। यह जोड़ा गया है कि एक असंवैधानिक अधिनियम में संशोधन करना पुनरुद्धार का एक अनुमेय तरीका नहीं हो सकता है

क्योंकि जिस क्षण किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, संशोधन के लिए कुछ भी नहीं बचा रहता है। इस स्थिति का समर्थन करने के लिए कर्नाटक और अन्य राज्यों पर निर्भरता रखी गई है। बनाम कर्नाटक प्यादा दलाल एसोसिएशन & Ors.[10], पं. ऋषिकेश और अन्न। बनाम सलमा बेगम ", सागीर अहमद और अन्न। बनाम। उत्तर प्रदेश और Ors.[12] और पी. एल. मेहरा और अन्य राज्य। बनाम। डी. आर. खन्ना और Ors.[13] 13.

10. उपरोक्त निवेदन को समर्थन देने के लिए, यह आग्रह किया जाता है कि मुआवजे से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के बावजूद, पुनर्वास और 2013 के अधिनियम से पुनर्वास, 2019 का अधिनियम अभी भी इसके प्रतिकूल है

2013 अधिनियम क्योंकि यह सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, अधिग्रहण की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न कदमों के लिए समयसीमा और निष्पक्ष प्रक्रिया से संबंधित अन्य प्रावधानों से संबंधित सामग्री प्रावधानों को शामिल करने में विफल रहता है। इस प्रकार, इसे एक उपचारात्मक कानून के रूप में नहीं कहा जा सकता है और यह फिर से अनुच्छेद 254 का उल्लंघन होगा।

10 (2018) 6 एस. सी. सी. 363

11 (1995) 4 एस. सी. सी. 718 12 ए. आई. आर 1954 एस. सी. 728

13 आकाशवाणी 1971 दिल्ली 1 [2021] 6 एस. सी. आर.

11. याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 254 में उपयोग किए गए "निर्मित" शब्द के अर्थ पर जोर दिया है ताकि यह दावा किया जा सके कि 2019 के अधिनियम में पूर्वव्यापीता वास्तव में अपनी वैधता के लिए घातक है। यह कहा गया है कि 2019 का अधिनियम 26.09.2013 (पूर्वव्यापी प्रारंभ की तारीख) पर बनाया गया था न कि 02.12.2019 (राष्ट्रपति की सहमति की तारीख) पर, जबकि 2013 का अधिनियम 27.09.2013 पर बनाया गया था। इस प्रकार, संसद द्वारा 26.09.2013 पर कोई अधिनियम लागू नहीं किया गया था और जिस क्षण 2013 अधिनियम अगले दिन बनाया गया था, 2019 अधिनियम फिर से अप्रिय हो गया।

12. याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि 2019 अधिनियम को एक निर्धारित सिद्धांत के बिना अधिनियमित किया गया है क्योंकि यह इसका पालन करने में विफल रहता है

2013 के अधिनियम के भौतिक पहलू और राज्य के लोगों को भूमि अधिग्रहण की एक अलग और कम लाभप्रद प्रक्रिया के अधीन करके उनके साथ भेदभाव करते हैं। समर्थन के लिए, यह जोड़ा जाता है कि समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को दो अलग-अलग कानूनों के अधीन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा और भले ही इस पाठ्यक्रम को अपनाया जाना है, वर्गीकरण को विवेकपूर्ण अंतर और उचित वर्गीकरण के तय किए गए सिद्धांत के आलोक में विधिवत उचित ठहराया जाना चाहिए। यह भी जोड़ा गया है कि राज्य को संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम को राज्य में लागू करने में अपनी असमर्थता प्रदर्शित करने के लिए विशेष परिस्थितियां दिखानी चाहिए।

परिस्थितियों में, राज्य विधानमंडल के पास विचलित होने और अपना कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। रिलायंस को भारत संघ और ए. एन. आर. पर रखा गया है। बनाम तारसेम सिंह और नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और ए. एन. आर। बनाम विट्ठल राव और Ors.[15]।

13. डब्ल्यू. पी. में (ग) सं. 173/2021 और W. P. (ग) नहीं, 2019 के अधिनियम की वैधता पर हमला करने के लिए इसी तरह के तर्क उठाए गए हैं और हम हैं

दोहराव से बचने के लिए उसी को दोहराना नहीं। इसके अलावा, इन दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने क्रमशः उद्योगों और राजमार्गों से संबंधित 1997 के अधिनियम और 2001 के अधिनियम पर भी हमला किया है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य के अधिनियमों और संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम का तुलनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया है ताकि भेदभाव और समान रूप से असमान व्यवहार को दर्शाया जा सके।

व्यक्तियों को केवल अधिग्रहण के उद्देश्य के आधार पर रखा गया। यह आग्रह किया जाता है कि 2013 के अधिनियम से मुआवजे से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के बावजूद, राज्य अधिनियम अधिग्रहण के लिए निश्चित समय सीमा के अभाव के कारण मुआवजे की समान राशि प्रदान नहीं करते हैं और

अनुचित विलम्ब के मामले में व्यपगत प्रावधान। पी. वज्रवेलु मुदलियार और अन्र पर निर्भरता स्थापित करना। बनाम। भूमि के लिए विशेष उप-कलेक्टर

14 1 4 (2019) 9 एससीसी 304 15 (1973) 1 एस. सी. सी. 500 जी. मोहन राव और ओ. आर. एस.

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अधिग्रहण, पश्चिम मद्रास और अन्र "। , यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य

अधिनियम उन व्यक्तियों के बीच अनुचित वर्गीकरण के कारण अनुच्छेद 14,19,21 का उल्लंघन करते हैं जिनकी भूमि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाती है और जिनकी भूमि अन्य उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाती है जिससे उनके व्यापार और व्यवसाय के अधिकार के साथ-साथ आजीविका के अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना संपत्ति से वंचित करना भी अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन है।

संविधान।

14. जहां तक राष्ट्रपति की मंजूरी का संबंध है, यह आग्रह किया जाता है कि इसे दूषित किया जाए क्योंकि राज्य अधिनियमों को राष्ट्रपति के समक्ष नहीं रखा गया था

और उन प्रावधानों की ओर ध्यान नहीं दिया गया जो अप्रिय हैं

संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के लिए। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, कैसर-आई-हिंद प्राइवेट में इस न्यायालय के आदेश पर भरोसा किया गया है।

लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम राष्ट्रीय वस्त्र निगम। (महाराष्ट्र उत्तर) लिमिटेड और Ors.[17]। 15. याचिकाकर्ताओं का जवाब देते हुए, भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल ने तमिलनाडु राज्य की ओर से दलीलें दीं। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

यह कि 2019 का अधिनियम राज्य की ओर से एक स्वीकृति है कि घृणा को दूर करने के लिए धारा 105-ए को लागू करने का पिछला उपाय उच्च न्यायालय को स्वीकार्य नहीं था और इसलिए, राज्य ने सातवीं अनुसूची की सूची-III के तहत अपनी विधायी क्षमता के अनुसार एक मान्य/उपचारात्मक अधिनियम बनाने का एक और विधायी उपाय अपनाया। तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य और अन्र पर निर्भरता रखना। 1 8 18, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने अधिनियमों को मान्य करने की संवैधानिकता का परीक्षण करने के लिए दो परीक्षण निर्धारित किए हैं, अर्थात्-विधायी क्षमता की उपस्थिति और न्यायालय द्वारा पाए गए दोष को दूर करना।

16. उत्तरदाताओं ने आगे कहा है कि राज्य विधानमंडल की शक्ति अपने स्वयं के क्षेत्र में पूर्ण है और यह इसके दायरे में है।

किसी कानून को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करने के साथ-साथ एक नया कानून पूरी तरह से लागू करके अमान्य होने के कारण को दूर करने की क्षमता। यह जोड़ा गया है कि 2019 का अधिनियम विधायिका द्वारा राज्य के हित, जनहित और भूमि मालिकों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से अधिनियमित किया गया है। इन प्रस्तुतियों का समर्थन करने के लिए कर्नाटक पर निर्भरता रखी गई है। पॉन ब्रोकर्स एसोसिएशन "और बी. के. पवित्रा और अन्य। बनाम यूनियन ऑफ

16 ए. आई. आर 1965 एस. सी. 1017

18 (2014) 12 एस. सी. सी. 696 19 फुटनोट संख्या 10 [2021] 6 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

इंडिया & Ors.20 और जाओरा शुगर मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम. मध्य प्रदेश राज्य & Ors.2[1]

17. प्रत्यर्थियों ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय के फैसले पर भी हमला किया है कि फैसले की कोई जांच नहीं की जाती है प्रावधानों के बीच प्रतिकूलता का निर्धारण करना और बाकी से प्रतिकूल प्रावधानों को गंभीर बनाने में विफल रहना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 254 करता है

संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के कुछ प्रावधानों और राज्य अधिनियमों के बीच असंगतता के कारण एक संपूर्ण अधिनियम को निरस्त करने पर विचार नहीं किया गया है, और इसलिए, कुछ प्रावधानों के बीच असंगतता को सुधारने के लिए राज्य विधानमंडल को पूरे कानून को फिर से लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन प्रस्तुतियों का समर्थन करने के लिए, एम. पी. वी. सुंदररामियर एंड कंपनी बनाम कंपनी पर निर्भरता रखी गई है। आंध्र प्रदेश राज्य और

एन. आर. 22 , गुजरात राज्य और अन्र। बनाम श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद और Anr.2[3], देवी दास गोपाल कृष्णन और अन्य। बनाम पंजाब राज्य और अन्य। 24 और नगरपालिका समिति, अमृतसर और अन्र। बनाम।

पंजाब राज्य और Ors.25। इसके अलावा, यह आग्रह किया जाता है कि तिरस्कार की घोषणा के बाद भी, एक अधिनियम क़ानून पुस्तिका से मिटा नहीं जाता है और केरल राज्य में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में दोष को दूर करने के लिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। बनाम मार अप्प्रेम कुरी

कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. 26 .

18. प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया है कि 2019 का अधिनियम उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप राज्य अधिनियमों का एक प्रभावी पुनः अधिनियमन है। इसके अलावा, मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्वास से संबंधित 2013 अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को 2019 अधिनियम के माध्यम से संदर्भ के रूप में तीनों राज्य अधिनियमों में पेश किया गया है। यह जोड़ा गया है कि सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से, पूरे 2019 अधिनियम को राष्ट्रपति के समक्ष रखने और तीन राज्य अधिनियमों को अलग-अलग रखने के बीच कोई अंतर नहीं है। कृष्ण चंद्र गंगोपाध्याय और अन्य पर भरोसा रखा गया है। बनाम भारत संघ और Ors.27 से

संदर्भात्मक विधान की अनुमति का समर्थन करें।

20 (2019) 16 एस. सी. सी. 129 21 (1966) 1 एस. सी. आर. 523 22 (1958) 1 एस. सी. आर. 1422 23 (1974) 4 एस. सी. सी. 656 24 (1967) 3 एस. सी. आर. 557 25 (1969) 3 एस. सी. आर. 447 26 (2012) 7 एस. सी. सी. 106 27 (1975) 2 एस. सी. सी. 272 जी. मोहन राव और ओ. आर. एस.

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

19. जहां तक प्रतिकूलता तय करने की तारीख का संबंध है, यह उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य कानून बनाने की तारीख होगी प्रासंगिक। इसके अलावा, यह जोड़ा जाता है कि बनाने की तारीख इस मामले में राष्ट्रपति की सहमति की तारीख होगी, यानी 02.12.2019 और केवल इसलिए कि 2019 अधिनियम को पूर्वव्यापी तिथि से लागू किया गया है, उस तारीख को अधिनियम बनाने की तारीख के रूप में संदर्भित नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह एक मान्य करने वाले कानून के पीछे की पूरी कवायद के उद्देश्य को विफल कर देगा। जैसा कि अनुच्छेद 254 में उपयोग किया गया है, "बनाया गया" शब्द के अर्थ की व्याख्या करने के लिए, मार अप्रेम कुरी में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन प्राप्त किया गया है।

कंपनी लिमिटेड 28

20. उत्तरदाताओं ने आग्रह किया है कि 2019 के अधिनियम के रूप में एक स्वतंत्र कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने के उद्देश्य से,

द्वारा किए गए अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई तुलनात्मक विश्लेषण नहीं हो सकता है

संसद और विवादित राज्य अधिनियम। यह जोड़ा गया है कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून से भटकने की अपनी क्षमता के भीतर है

संसद और ऐसे विचलन के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना। समर्थन में,

मध्य प्रदेश राज्य बनाम जी. सी. मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है। मंडावर 29.

21. हमने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. विल्सन और याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री सुहरित पार्थसारथी, श्री के. के. को सुना है।

22. मामले में शामिल मुद्दों पर बहस करने से पहले, हम शुरू में ही जांच के दायरे का वर्णन करना उचित समझते हैं। हमने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि संविधान के भाग-3 के संदर्भ में 1997 के अधिनियम और 2001 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता से संबंधित मुद्दे तब से मद्रास में उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिकाओं में उठाए गए हैं। इस निर्णय के बाद भी इस पर विचार किया जा सकता है, जैसा कि हमारे दिनांकित 23.02.2021 आदेश में उल्लेख किया गया है। 23. इसलिए, इस मामले में हमारी जांच इस हद तक सीमित है कि क्या 2019 अधिनियम को वैध रूप से अधिनियमित किया गया है और इस प्रकार, अधिनियम को पुनर्जीवित करने में सफल रहा है।

प्रतिकूल होने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा राज्य अधिनियमों को अमान्य घोषित किया गया

2013 के अधिनियम में संशोधन करना और उसके तहत की गई कार्रवाइयों को मान्य करना। 28 फुटनोट संख्या 26 29 (1955) 1 एस. सी. आर. 599 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में ऊपर दिया गया है।

21] 6 एस सी आर।

24. पक्षकारों द्वारा आग्रह किए गए उपरोक्त तथ्यों और आधारों के आलोक में,

निम्नलिखित मुद्दे हमारे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:

(i) क्या राज्य विधानमंडल के पास विधायी क्षमता थी

2019 अधिनियम को लागू करना, एक पूर्वव्यापी मान्यता देने वाला अधिनियम?

((ii) क्या राज्य विधानमंडल ने 2019 के अधिनियम को लागू करके उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने/रद्द करने के प्रभाव से अपनी विधायी क्षमता की सीमाओं का उल्लंघन किया है?

(iii) क्या 1997 का अधिनियम और 2001 का अधिनियम 2013 के अधिनियम के प्रतिकूल होने के कारण फिर से अनुच्छेद 254 का उल्लंघन करता है।

2019 अधिनियम के पूर्वव्यापी प्रारंभ की तिथि?

समन्वय

विधायी प्रतिस्पर्धा

25. संविधान के भाग-11 के "विधायी संबंध" शीर्षक वाले अध्याय-1 में विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान है।

संघ और राज्य। अनुच्छेद 245 क्षेत्रीय क्षमता के बारे में बात करता है। संघ और राज्यों के लिए, और जबकि यह संसद को भारत के पूरे क्षेत्र के लिए (कुछ क्षेत्रों से परे भी) कानून बनाने का अधिकार देता है।

परिस्थितियों में), राज्य विधानमंडल को केवल राज्य के क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अपने क्षेत्र के भीतर, राज्यों को सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) और सूची-III (समवर्ती सूची) के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर संघ और राज्य दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। राज्य सूची के भीतर भी, राज्य की विधायी शक्ति को निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता है और कुछ परिस्थितियों जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय हित, दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा व्यक्त इच्छा आदि के तहत संसद के हस्तक्षेप के अधीन किया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 249 से 253 द्वारा चित्रित किया गया है। इस संवैधानिक योजना से यह स्पष्ट है कि सत्ता का संतुलन कई मायनों में संघ के पक्ष में झुकता है।

परिस्थितियाँ। इस झुकाव का एक उदाहरण संविधान के अनुच्छेद 254 में प्रकट होता है जो वर्तमान मामले में बहस का विषय है। वैसा ही।

इस प्रकार पढ़ता है:

" 254. संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति और

राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून।

(1) यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी प्रावधान के प्रतिकूल है, जो

संसद मौजूदा जी. मोहन राव और ओ. आर. एस. के किसी भी प्रावधान को लागू करने के लिए सक्षम है।

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

में उल्लिखित मामलों में से एक के संबंध में कानून

(2) जहाँ किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस संबंध में बनाई गई कोई विधि हो। समवर्ती सूची में गिने गए मामलों में से किसी एक में पहले बनाए गए कानून के प्रावधानों के विपरीत कोई प्रावधान है।

संसद या उस मामले के संबंध में किसी मौजूदा कानून द्वारा, तो, ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई कानून, यदि इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है और

उसकी सहमति प्राप्त की, उस राज्य में प्रबलः

बशर्ते कि इस खंड की कोई भी बात संसद को किसी भी समय एक ही मामले के संबंध में किसी भी कानून को लागू करने से नहीं रोकेगी, जिसमें राज्य के विधानमंडल द्वारा इस तरह बनाए गए कानून को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या निरस्त करने वाली कानून भी शामिल है।

26. विशेष रूप से, सूची-III की प्रविष्टि-42 संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को "संपत्ति के अधिग्रहण और अधिग्रहण" पर कानून बनाने में सक्षम बनाती है।

जिसके तहत भूमि अधिग्रहण कानून बनाए जाते हैं। इस प्रविष्टि का उपयोग करते हुए, राज्य विधानमंडल ने 1997 अधिनियम और 2001 अधिनियम सहित उल्लिखित अधिनियमों को अधिनियमित किया था। उसी प्रविष्टि का उपयोग करते हुए, केंद्रीय विधानमंडल ने इसके बाद देश भर में भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 का अधिनियम लागू किया था। संघ और राज्य के अधिनियम एक-दूसरे से भिड़े और उच्च न्यायालय ने संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के बावजूद राज्य के अधिनियमों को अमान्य पाया। निरस्त राज्य अधिनियमों की रक्षा के लिए, राज्य विधानमंडल ने फिर से सूची-III की प्रविष्टि-42 का सहारा लिया और राज्य अधिनियमों के "संचालन के पुनरुद्धार", "संशोधन" और "सत्यापन" के उद्देश्य से 2019 अधिनियम लाया।

कानून और इस तरह के सत्यापन को प्रभावी बनाने के लिए, इसे एक दिया गया है राज्य द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव। जबकि विषय-वस्तु विधायी क्षमता के साथ पठित सातवीं अनुसूची की सूची-III से प्रकट होती है।

अनुच्छेद 246। इसके बावजूद, पूर्वव्यापी प्रभाव से पुनरुद्धार अधिनियम पारित करने के लिए राज्य विधानमंडल की क्षमता पर एक सैद्धांतिक सवाल उठाया गया है।

21] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. इस न्यायालय की संवैधानिक योजना और निर्णय

यह एक निश्चित स्थिति है कि पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की विधायिका की शक्ति संवैधानिक सीमाओं के भीतर है। यह इस मूल सिद्धांत से निकलता है कि एक विधायिका को मुख्य माना जाता है।

बड़े पैमाने पर जनहित का नायक। क्योंकि, विधायिका एक लोकतांत्रिक राजनीति का गढ़ है। यह भी बहस से परे है कि एक विधायिका ऐसी अयोग्यता के कारण को हटाकर एक अमान्य कानून को मान्य कर सकती है। विधायी अभ्यास के माध्यम से। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अदालत द्वारा संक्षेप में इस तरह की शक्ति की कुछ न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सीमाएँ हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ और Ors.³0 इस प्रकारः

" 15. विधायी शक्ति या तो अधिनियमों को लागू करने के लिए

पहली बार या पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अधिनियमित कानून में संशोधन करना,

यह न केवल योग्यता के सवाल के अधीन है, बल्कि विषय भी है

कई न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सीमाओं के लिए जिनमें से कुछ के साथ हम

पूर्वावलोकन उचित होना चाहिए और अत्यधिक नहीं होना चाहिए या कठोर, अन्यथा यह नीचे गिर जाने का जोखिम चलाता है

असंवैधानिक है। 32 तीसरा उपयुक्त है जहाँ

न्यायिक निर्णय पर काबू पाने के लिए कानून बनाया जाता है।

यहाँ निर्णय को पलटने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

निर्णय के वैधानिक आधार को हटाए बिना। 33 "

(जोर दिया गया)

इसमें आगे कहा गया हैः

" 17. एक मूल वैधानिक के साथ संबद्ध खंड का सत्यापन करना इसलिए परिवर्तन केवल कार्यों को छोड़ने के तरीकों में से एक है।

अपरिवर्तित कानून के तहत अस्थिर, निर्बाध।

30 (2003) 5 एससीसी 23 31 एस. एस. गाडगिल बनाम लाल एंड कंपनी, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 171,177; जे. पी. जानी बनाम। इंदुप्रसाद देवशंकर भट्ट, ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 778,781।

32 राय रामकृष्ण बनाम। बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1963 एससी 1667: (1964) 1 एस. सी. आर. 897,915; जवाहरमल बनाम। राजस्थान राज्य, एआईआर 1966 एससी 764: (1966) 1 एस. सी. आर. 890,905; उजागर प्रिंट्स (II) v. भारत संघ (1989) 3 एस. सी. सी. 488,517: 1989 एस. सी. सी. (कर) 469 33 श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम। ब्रोच बरो नगरपालिका, (1969) 2 एस. सी. सी. 283; ललिताबेन बनाम। गोरधनभाई भाईचंदभाई, 1987 पूरक एस. सी. सी. 750; जनपद सभा

छिंदवाड़ा वी. सेंट्रल प्रोविंस सिंडिकेट लिमिटेड, (1970) 1 एस. सी. सी. 509; इंडियन एल्यूमीनियम कं. v. केरल राज्य (1996) 7 एस. सी. सी. 637।

. मोहन राव और ओआरएस। वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

नतीजतन, एक मान्य खंड की अनुपस्थिति द्वारा नहीं होगा

स्वयं वैधानिक प्रावधान के पूर्वव्यापी संचालन को प्रभावित करता है,

यदि ऐसी पूर्वव्यापीता अन्यथा स्पष्ट है "।

(जोर दिया गया)

उजागर प्रिंट्स एंड ओआरएस में। (II) बनाम भारत संघ & Ors.³4, a 5

इस न्यायालय की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्वव्यापी ए. टी. आई. एन. जी. क़ानून निम्नानुसार अनुमत हैं:

जिसे अदालतों द्वारा अमान्य घोषित किया गया है, बशर्ते कि में देखी गई दुर्बलताएँ और दूषित करने वाले कारक

घोषणात्मक निर्णय हटा दिए जाते हैं या ठीक कर दिए जाते हैं। इस तरह की

मान्यता देने वाले कानून को पूर्वव्यापी भी बनाया जा सकता है। अगर रोशनी में

विधायिका द्वारा किए गए इस तरह के सत्यापन और उपचारात्मक अभ्यास का

विधायी क्षमता प्रदान करना-पूर्व निर्णय

अप्रासंगिक और अप्रवर्तनीय हो जाता है, जिसे एक नहीं कहा जा सकता है

न्यायिक निर्णय का अनुज्ञेय विधायी अधिमूल्यांकन। सभी विधायिका जो करती है वह एक वैध कानून की शुरुआत करना है

पूर्वव्यापी प्रभाव जिसके प्रकाश में पहले का निर्णय

अप्रासंगिक हो जाता है। (श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम देखें। ब्रोच

बरो नगरपालिका 35) "।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने इस तरह के मान्यकारी अधिनियमों की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला

रैक्टिकल परिदृश्य इस प्रकार है:

" 66.विधियों के सत्यापन का ऐसा विधायी उद्देश्य है -

विशेष महत्व और उपयोगिता और अक्सर लागू किया जाता है,

कर लगाने वाले कानूनों में। यह आवश्यक है कि विधायिका

विधियों में दोषों को ठीक करने में सक्षम होना। कोई भी व्यक्ति इसे हासिल नहीं कर सकता।

एक कानून में एक दोष से एक निहित अधिकार और एक अप्रत्याशित लाभ की मांग

विधायिका की गलतियों से। विधानों की वैधता

कर लगाने वाले कानूनों में दोषों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक करना अच्छी तरह से पहचाना जाता है

आवश्यकता के रूप में विधायी निर्णय को ओवरराइड करने के लिए अनिच्छुक और पूर्वव्यापी विधान का ज्ञान। .....

(जोर दिया गया)

-9) 3 एससीसी 488

9) 2 एससीसी 283: (1970) 1 एससीआर 388 [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी और अन्य में। बनाम केरल राज्य और अन्य। 36 ,

न्यायालय ने फिर से कुछ सिद्धांतों को स्पष्ट किया और हम मामले से संबंधित निम्नलिखित दो अंशों को ध्यान में रखना उपयोगी पाते हैं:

(8) विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, विधायिका मात्र घोषणा, बिना कुछ और के, सीधे नहीं कर सकते हैं

न्यायिक निर्णय को निरस्त, संशोधित या ओवरराइड करें। यह प्रस्तुत कर सकता है

न्यायिक निर्णय पर वैध कानून बनाकर अप्रभावी

अपने विधायी क्षेत्र के भीतर मौलिक रूप से परिवर्तनकारी या

परिवर्तित शर्तें ऐसी होती हैं कि पिछला निर्णय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, यदि वे शर्तें

कानून को अमान्य घोषित करने के समय मौजूद था। यह है।

पूर्वव्यापी विधान को प्रभावी बनाने का भी अधिकार

एक डीमिंग तिथि के साथ या एक विशेष तिथि से प्रभावी। विधायिका कर या शुल्क के स्वरूप को बदल सकती है

ऐसा चरित्र और विधायिका पुनर्प्राप्त करने के लिए सक्षम है अमान्य आधार को हटाने पर इस तरह के कर को मान्य करने वाला अमान्य कर

विषय से वसूली या राज्य से वसूली प्रदान करें अप्रभावी। यह विधायिका के लिए कानून बनाने के लिए सक्षम है

पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ और अपनी एजेंसियों को लागू करने के लिए अधिकृत करता है और

उस आधार पर कर एकत्र करें, एकत्र शुल्क लागू करें।

और घोषणा के बावजूद कर की वसूली को वैध बना दिया गया

न्यायालय द्वारा या उसकी वसूली के लिए दिया गया निर्देश।

(9) सुसंगत धागा जो सभी निर्णयों के माध्यम से चलता है

निर्णय लेना या कोई निर्देश देना जो उस पर बाध्यकारी नहीं है लेकिन इसे हटाकर निर्णय को अप्रभावी बनाने की शक्ति है

जिस आधार पर निर्णय दिया गया था, वह सुसंगत था

संविधान और विधायिका के कानून के साथ ऐसा करने की क्षमता रखें "।

(जोर दिया गया)

तमिलनाडु राज्य में 3, न्यायालय ने दोहरे परीक्षण निर्धारित किए

छ. किसी विधि की वैधता इस प्रकार है:

+6) 7 एस. सी. सी. 637

फुटनोट संख्या 18 पर ए।

मोहन राव और ओआरएस। वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

भारतीय संविधान के संदर्भ में संवैधानिक सिद्धांत विधायिका, कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित

और न्यायपालिका को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

126.1 126.5 तक। 126.6. यदि विधायिका के पास विषय पर शक्ति है

एक मान्यकारी कानून बनाने के लिए विषय और क्षमता, यह कर सकता है किसी भी समय इस तरह का एक मान्य कानून बनाएँ और इसे बनाएँ

पूर्वव्यापी। अतः एक मान्यकारी कानून की वैधता,

यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या विधायिका के पास है क्षमता जिसका वह विषय-वस्तु पर दावा करता है और

क्या सत्यापन कानून बनाने में यह दोष को दूर करता है जिसे अदालतों ने मौजूदा कानून में पाया था।

(जोर दिया गया)

29. ऊपर चर्चा किए गए निर्णयों की रेखा एक स्थिर स्थिति को प्रकट करती है।

एक पूर्वव्यापी सत्यापन को लागू करने के लिए विधायिका की क्षमता को बढ़ाता है अन्य जानकारी दर्ज करें, जिसे नीचे चित्रित किया गया हैः

((i)

विधायिका के पास इस विषय पर अधिकार होना चाहिए।

साथ ही एक मान्यता देने वाला कानून बनाने की क्षमता।

((ख)

के साथ एक स्पष्ट सत्यापन खंड होना चाहिए

पहले की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(iii)

पूर्वव्यापी संचालन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

((iv)

का कोई स्पष्ट या घोषणात्मक अधिमूल्यांकन नहीं हो सकता है

न्यायालय का निर्णय।

विधायिका के लिए निर्णय लेने की अनुमति है

(v)

निर्णय इस तरह से कि न्यायालय नहीं आया होगा उसी निष्कर्ष पर सही/संशोधित स्थिति थी

उक्त पूर्व निर्णय को प्रस्तुत करने के समय प्रबल हुआ।

विशेष रूप से, राज्य विधानमंडल में निहित शक्ति का तथ्य

विषय वस्तु और एक मान्य कानून बनाने की इसकी क्षमता में नहीं है

या वर्तमान मामले में विवादित।

30. पी. एल. मेहरा 3 8 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए,

याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया है कि जिस क्षण न्यायालय ने राज्य की घोषणा कीफुटनोट संख्या 13 [2021] 6 एस. सी. आर.

अधिनियमों को अमान्य बताते हुए, उन्हें क़ानून की पुस्तक से मिटा दिया गया और उसमें आगे के संशोधन को पुनर्जीवित करने की अनुमति नहीं थी। इस निर्णय को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि न्यायालय अनुच्छेद 13 के आलोक में शून्यता के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा था, अर्थात संविधान के भाग-III के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के कारण शून्यता। हमारे विचार में, इस निर्णय का वर्तमान कार्यवाही में शामिल मुद्दों पर कोई प्रभाव नहीं है। इस प्रकार, इस निर्णय पर विस्तार किए बिना, यह अवलोकन करना पर्याप्त है कि जब शून्यता राज्य के कानून और संसद द्वारा बनाए गए कानून के बीच प्रतिकूलता का परिणाम है, यानी संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत शून्यता, तो बाद में संशोधन करके ऐसे राज्य कानून का पुनरुद्धार।

शून्यता के आधार को पर्याप्त रूप से बदलना और इसे पूर्व तिथि से पूर्वव्यापी रूप से लागू करना इस न्यायालय द्वारा बार-बार मान्यता प्राप्त है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। हम और नहीं कहते हैं।

डी. ओ. ई. एस. 2019 अधिनियम के निर्णय को समाप्त करता है

उच्च न्यायालय?

31. सिद्धांत और कानून में राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता को समझने के बाद, अब हम जांच कर सकते हैं कि क्या

विधायिका ने उपरोक्त सिद्धांतों का उल्लंघन किया और इस प्रकार अपनी क्षमता को पार कर लिया। इसके लिए, हमें पहले उच्च न्यायालय के फैसले के भौतिक आधार की जांच करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या 2019 के अधिनियम को लागू करके लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन सफल हुए हैं।

राज्य अधिनियमों का पुनरुद्धार। 32. मद्रास उच्च न्यायालय ने विचार के लिए चार मुद्दे तैयार किए, जैसा कि इस फैसले के प्रारंभिक भाग में प्रस्तुत किया गया था। हम चिंतित नहीं हैं।

मुद्दा संख्या को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे के साथ। 3 संसद द्वारा बनाए गए राज्य अधिनियमों और अधिनियमों के बीच प्रतिकूलता और प्रतिकूल राज्य अधिनियमों को पुनर्जीवित करने के लिए 2014 अधिनियम (2013 का तमिलनाडु राज्य संशोधन अधिनियम) की धारा 105-ए की अनुमति से संबंधित। मुद्दा नं. 3 बेहतर मूल्यांकन के लिए इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" मुद्देः 74.

इसलिए जिन मुद्दों पर हम विचार कर रहे हैं, वे इस प्रकार हैं:

1) .....

2) ... .

3) क्या विवादित राज्य अधिनियम एक बार घृणित हो गए थे

संसद ने नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 'बनाया'।

यदि ऐसा है, तो जी. मोहन राव और ओआरएस ने किया। वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

तमिलनाडु द्वारा जोड़ी गई धारा 105 ए को राष्ट्रपति की मंजूरी

2015 का अधिनियम संख्या 1, तीनों अधिनियमों को पुनर्जीवित करता है?

99

उच्च न्यायालय ने पहले अनुच्छेद 254 के विस्तार की जांच की और फिर

लाल राज्य अधिनियम अभी से प्रतिकूल होने के लिए

2013 के अधिनियम के लिए आवश्यक सहमति प्राप्त की गई थी। इसमें इस प्रकार उल्लेख किया गया है:

" 111. उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि दोनों संसद और राज्य विधानमंडल इन कानूनों को लागू करने के लिए सक्षम है। द.

तीन राज्य अधिनियमों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 21.7.1978 , 25.5.1999 और 16.9.2002 क्रमशः और इसलिए,

तमिलनाडु राज्य में तब भी शासन था जब पुराना अधिनियम, 1894 लागू था।

पूरे मैदान को कवर किया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब

नया अधिनियम लागू हुआ, तीन राज्य अधिनियम हैं

शून्य हो जाते हैं। के तहत किए गए अधिग्रहणों को बचाने के लिए तीन राज्य अधिनियम, तमिलनाडु राज्य ने एक

केंद्रीय अधिनियम में धारा 105-ए को क्रम में सम्मिलित करके संशोधन

तीन राज्य अधिनियमों के तहत किए गए अधिग्रहण को बचाने के लिए

31.12.2014 दिनांकित तीन सरकारी आदेश भी जारी किए गए, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए कि तीनों राज्यों के तहत किए गए अधिग्रहण

नई भूमि में संशोधन करके अधिनियमों को बचाया जाएगा।

अधिग्रहण अधिनियम और इस उद्देश्य के लिए संशोधन अधिनियम भले ही 1.1.2015 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने को माना गया था

1.1.2014 पर लागू हुए हैं। अनुच्छेद 254 की शुरुआत तब होती है जब

विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के किसी भी प्रावधान में असंवेदनशीलता है

संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी भी प्रावधान के लिए राज्य का जो संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम है। इसलिए इन राज्यों

नए अधिनियम के लागू होते ही अधिनियमों को अमान्य कर दिया जाता है।

"बनाया" गया था। यानी जब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली,

जैसा कि 27.09.2013 पर है।

(जोर दिया गया)

अनुच्छेद 254 के खंड (2) को लागू करते हुए, इसने तब कहा कि 2014 के अधिनियम की धारा ए उन राज्य अधिनियमों को पुनर्जीवित नहीं कर सकती थी जो पूर्व बिंदु पर प्रतिकूलता के कारण शून्य हो गए थे और एक घृणित कानून के पुनरुद्धार के लिए कार्रवाई का एकमात्र तरीका अधिनियम है जिसके बाद नए सिरे से राष्ट्रपति की सहमति होती है:

" 112. द्वारा बनाए गए कानून को इस अर्थ में एकमात्र संरक्षण प्रदान किया गया प्रतिकूलता के मामले में राज्य अनुच्छेद 254 (2) के तहत आते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिकूलता का उल्लेख केवल पूर्व में निर्धारित कानून के संबंध में किया जाता है। राज्य द्वारा पहले से बनाए गए कानून के मामले में लागू होता है, जो संसद के एक नए अधिनियम के परिणामस्वरूप अप्रिय हो जाता है। अनुच्छेद 254 (2) द्वारा बनाए गए कानूनों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। केंद्रीय विधान के समक्ष राज्य, जो उन्हें अप्रिय, लागू होता है। इसके लिए संपूर्ण घृणित कानून की आवश्यकता होती है नए सिरे से राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना, और राष्ट्रपति को पूरे कानून के लिए अपनी सहमति देनी होगी। यह कानून इसे अनिवार्य रूप से फिर से अधिनियमित किया जाना चाहिए, और इसके द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए राष्ट्रपति नए सिरे से। केवल नई धारा में धारा 105 ए डालना। अधिनियम, अनुच्छेद 254 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा, और कानून प्रतिकूल बने रहेंगे। '

(जोर दिया गया)

उच्च न्यायालय ने तब कुछ निष्कर्ष दर्ज किए और प्रासंगिक इसे इस प्रकार पढ़िए:

" निष्कर्ष -

158. चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाओं का शुद्ध परिणाम हमारे सामने इस प्रकार है:

158.2 ..... 158.3 . हालाँकि, हमारे सामने रिट याचिकाकर्ता अंततः सफल हो जाते हैं क्योंकि, अनुच्छेद 254 (1) ने अपने संचालन द्वारा विवादित को प्रस्तुत किया तमिलनाडु के विधान प्रतिकूल और अमान्य हैं, जैसा कि जिस तारीख को नया अधिनियम बनाया गया था, यानी 27.09.2013, वह तारीख

v मार अप्प्रेम कुरी कं. (ऊपर) 3 9 और इसलिए आक्षेपित कृत्य जीवित नहीं रहते हैं।

158.4 . नए अधिनियम की धारा 105-ए को लागू करके, राज्य

तमिलनाडु सरकार तीन राज्य अधिनियमों को पुनर्जीवित नहीं कर सकती थी। जो 27.09.2013 पर घृणित हो गया था।

फुटनोट संख्या 26 जी. मोहन राव और ओआरएस।

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

158.5 . इन अधिनियमों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य को फिर से अधिनियम बनाना होगा।

इन कानूनों, के अनुच्छेद 254 (2) के अनुसार भारत का संविधान, और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना।

केवल धारा 105-ए और 5 वीं अनुसूची को सम्मिलित करके,

नया अधिनियम, इन विवादित अधिनियमों को नहीं मिलता है

पुनर्जीवित किया। चूंकि यह स्वीकार्य रूप से नहीं किया गया था, इसलिए अधिनियम बने हुए हैं। प्रतिकूल, और अनुच्छेद 254 (1) उन्हें निष्क्रिय बनाता है।

99

(जोर दिया गया)

33. सीमित उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय के फैसले का विश्लेषण करना

इस मामले में और उक्त निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति के माध्यम से लंबित मामलों के परिणाम सहित अन्य दलीलों पर प्रभाव डाले बिना, हम ध्यान देते हैं कि उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 254 के तहत तिरस्कार की अवधारणा को सही ढंग से समझाया है, लेकिन इसे राज्य अधिनियमों और संसद द्वारा बनाए गए कानून के बीच विरोध के वास्तविक अस्तित्व की पहचान करने के लिए उसी तरीके से लागू नहीं किया है। की उपस्थिति को मानते हुए

स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण की गई अस्वीकृति, इससे पहले की एकमात्र जांच

उच्च न्यायालय प्रतिकूल राज्य कानूनों के पुनरुद्धार के तरीके के बारे में था। इस तरह की जांच करते समय, इसने 2014 के अधिनियम की धारा 105-ए को पुनर्जीवित करने का एक अस्वीकार्य तरीका पाया और संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के अनुसार फिर से अधिनियमित करने का आह्वान किया। हमारे विचार में, यह उच्च न्यायालय के फैसले का एकमात्र भौतिक आधार है। आश्चर्यजनक रूप से, उच्च न्यायालय ने पुनरुद्धार और सत्यापन से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया और अनुच्छेद 254 (2) के उचित अनुपालन पर जांच को आधार बनाया, क्योंकि संसद द्वारा उसी विषय पर बनाए गए बाद के कानून के सामने राज्य के कानून के प्रबल होने का यही एकमात्र तरीका है।

34. हम संक्षेप में तिरस्कार की अवधारणा की जांच कर सकते हैं और इसकी

अनुच्छेद 254 के तहत कार्य करना। तिरस्कार की अवधारणा का उद्देश्य एक ही क्षेत्र में दो परस्पर विरोधी कानूनों के संचालन को रोकना है ताकि -

इसके परिणामस्वरूप अनिश्चितता और असंगतता होती है। स्वाभाविक रूप से, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो कानून के विषयों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और यह निर्णय लेंगे कि दोनों में से कौन सा कानून उन पर काम करेगा। इस प्रकार, संविधान अनुच्छेद 254

के रूप में अविभाज्य और स्पष्ट समाधान प्रदान करता है जो यह स्पष्ट करता है कि ऐसी परिस्थितियों में, संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रबल होना चाहिए और विषय उसके द्वारा शासित होंगे। हालांकि, यह यहीं नहीं रुकता है। यह इस बुनियादी घोषणा से परे जाता है और उस विधायिका को एक अवसर देता है जिसके लिए अप्रिय कानून (राज्य विधायिका) से संबंधित था।

राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करके इसे पुनर्जीवित करना, जिससे राज्य विधानमंडल की क्षमता को प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 254 में यह विचार नहीं किया गया है कि संसद द्वारा बनाया गया राज्य का कानून और कानून पूरी तरह से समान होना चाहिए। क्योंकि, यह कहना कि राष्ट्रपति की मंजूरी के माध्यम से पुनरुद्धार के पूरे उद्देश्य को व्यर्थ अभ्यास के रूप में प्रस्तुत करेगा क्योंकि किसी भी राज्य के लिए किसी भी कानून को लागू करने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून द्वारा किया गया था।

35. निर्विवाद रूप से, अनुच्छेद 254 संघ और राज्य कानूनों के सह-अस्तित्व पर विचार करता है, भले ही यह प्रतिकूल हो, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृति को मंजूरी देने के बाद ही। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 254 इसकी अभिव्यक्ति है - विकेंद्रीकृत कानून-निर्माण और उस राज्य के लिए समीचीन व्यवस्था को संशोधित करने के लिए राज्य विधानमंडल की क्षमता की मान्यता, इस तरह के विचलन के लिए राष्ट्रपति की सहमति लेने पर।

36. उच्च न्यायालय के फैसले के भौतिक आधार और अनुच्छेद 254 के आलोक में तिरस्कार की अवधारणा के मूल सार को समझने के बाद, अब मौलिक प्रश्न यह है कि क्या 2019 अधिनियम

यह अनुच्छेद 254 (2) के पर्याप्त अनुपालन के रूप में योग्य है। क्योंकि, उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अनुच्छेद 254 (2) पुनरुद्धार का एकमात्र तरीका है।

37. अनुच्छेद 254 (2) को तैयार संदर्भ के लिए फिर से प्रस्तुत किया गया है:

" 254. संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति और

राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून। -

(1) .....

(2) जहाँ समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों में से किसी एक के संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में संसद द्वारा बनाई गई पूर्ववर्ती विधि या किसी विद्यमान विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल कोई प्रावधान है - उस मामले के संबंध में, ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि, यदि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित की गई है और उसकी सहमति प्राप्त कर ली है, तो उस मामले में प्रबल होगी।

बयान दें: "

(जोर दिया गया)

अनुच्छेद 254 (2) को लागू करने के लिए बुनियादी तत्व हो सकते हैं -

इस प्रकार उल्लेख किया गया है:

जी. मोहन राव और ओआरएस। वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(i) राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया एक कानून (2019 का अधिनियम)

मामला);

((ii) ऐसा कानून समवर्ती सूची में आने वाले विषय पर बनाया जाता है।

(प्रविष्टि-इस मामले में समवर्ती सूची का 42);
((ग) ऐसा कानून संसद द्वारा बनाए गए पूर्व/मौजूदा कानून (इस मामले में 2013 अधिनियम) के प्रावधानों के प्रतिकूल है; और

((iv) राज्य का कानून राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित है और

वही मिला है।

38. अनुच्छेद 254 (2) की यह समझ अच्छी तरह से स्थापित है और पं. ऋषिकेश 40.

" 15.अनुच्छेद 254 का खंड (2) खंड (1) का अपवाद है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून इसके लिए आरक्षित है

विचार करें और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करें

राज्य का कानून केंद्रीय अधिनियम, कानून के साथ असंगत है

राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए

केंद्रीय कानून और उस राज्य में वैध कानून के रूप में कार्य करता है। अगर

संसद कानून में संशोधन करती है, राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया पूर्व संशोधन, यदि पाया जाता है

केंद्रीय संशोधित कानून के साथ असंगत, केंद्रीय कानून और राज्य कानून दोनों एक-दूसरे से टकराये बिना सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार तिरस्कार उत्पन्न होता है और तिरस्कार की सीमा तक

40 फुटनोट संख्या 11 [2021] 6 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

राज्य का कानून अनुच्छेद 254 (1) के तहत अमान्य हो जाता है जब तक कि राज्य

विधायिका ने फिर से कानून को विचार के लिए आरक्षित कर दिया

राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है। पूर्ण बेंच

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1976 के यू. पी. अधिनियम 57 के बाद से 30-12-1976 पर राष्ट्रपति की सहमति, जबकि केंद्रीय अधिनियम

9-9-1976, राज्य द्वारा बनाए गए यू. पी. अधिनियम पर सहमति दी गई थी विधायिका, बाद में यह एक वैध कानून है।

(जोर दिया गया)

39. याचिकाकर्ताओं के पास लंबी दलीलें हैं कि कैसे

2019 का अधिनियम 2013 के अधिनियम के प्रतिकूल है। हम यह देखने के लिए विवश हैं कि किसी मान्यता के बाद किसी भी प्रतिकूलता को इंगित करने का पूरा अभ्यास

अधिनियम ने राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर ली है। क्योंकि, अनुच्छेद 254 (2) का पूरा उद्देश्य ऐसे अधिनियम में एक प्रतिकूल अधिनियम या प्रतिकूल प्रावधानों को पुनर्जीवित करना और कार्यान्वित करना है। क्योंकि, संविधान राज्यों के साथ-साथ सूची-III में आने वाले विषयों पर समवर्ती शक्तियां प्रदान करता है।

अनुच्छेद 254 (2) की आवश्यकताओं का विधिवत पालन करने के बाद, न्यायालय के पास दोनों पक्षों के बीच प्रतिकूलता की पहचान करके हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है।

तिरस्कार का और इस तरह की तिरस्कार को दूर करने का इरादा है। इसलिए, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रयास इस पर प्रकाश डालना है प्रतिकूलता, गलत दिशा में, कमजोर और अप्रासंगिक है।

40. इस प्रकार कहने के बाद, यह तर्क कि 2019 अधिनियम नहीं हो सकता है

इसे 1997 के अधिनियम और 2001 के अधिनियम का "पुनः अधिनियमन" कहा जाता है, जिसे संबोधित किया जाना चाहिए। क्योंकि, उच्च न्यायालय के फैसले में अनुच्छेद 254 (2) की उचित पूर्ति के लिए फिर से अधिनियम बनाने का आह्वान किया गया था। 2019 के अधिनियम को लागू करते समय, राज्य विधानमंडल ने न तो व्यक्तिगत रूप से 1997 के अधिनियम और 2001 के अधिनियम को नए विधेयकों के रूप में सदन के समक्ष रखा, और न ही निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने के लिए उक्त तीन अधिनियमों के लिए संशोधन अधिनियम पेश किए:

क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनर्वास। इसके बजाय, इसने एक विधेयक तैयार किया जो चार उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता था -

सबसे पहले, विभिन्न प्रावधानों का प्रावधान करने के लिए राज्य अधिनियमों में संशोधन करें। उन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुरूप लाने के लिए मुआवजे का; जी. मोहन राव और ओआरएस।

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

दूसरा, 2013 के अधिनियम के अनुरूप पुनर्वास, पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित नए प्रावधान जोड़ें।

तीसरा, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल और शून्य घोषित किए गए अधिनियमों को पुनर्जीवित करना और विधानसभा में इस विधेयक को पारित करने और राष्ट्रपति के समक्ष रखने के बाद उन्हें मान्य करना; और चौथा, राज्य विधानों के तहत पिछले सभी अधिग्रहणों की वैधता को बहाल करना, जिसे उच्च न्यायालय ने अधिनियम को लागू करके रद्द कर दिया था।

एक पूर्वव्यापी तिथि से। 41. चाहे इस पर ध्यान दिया जाए, अधिनियमन या पुनः अधिनियमन में विधायिका में एक विधेयक पेश करना, विधानसभा में अनिवार्य रूप से विधेयक को पढ़ना शामिल है।

आचरण के नियम, जिन्हें विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है, उन्हें राज्यपाल या राष्ट्रपति (यदि आवश्यक हो) के समक्ष रखा जाता है। इस तरह का विधेयक या तो सभी मौजूदा और नए प्रावधानों को नए सिरे से चित्रित कर सकता है या इसमें शामिल किया जा सकता है

उन प्रावधानों को संदर्भ के रूप में। बाद वाला संदर्भात्मक विधान की श्रेणी में आएगा, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि इस तरह के संदर्भित कानून अस्वीकार्य हैं और पुनः अधिनियमन का मतलब 1997 के अधिनियम और 2001 के अधिनियम के समान प्रावधानों वाले नए बिल पेश करना होगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि तर्क कमजोर है। क्योंकि, हम यह देखने में विफल रहते हैं कि दोनों में से किसी भी विधि का पालन करने से क्या भौतिक अंतर होगा। विधायिका ने प्रावधानों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया है क्योंकि 2019 अधिनियम को तीन भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग विशेष रूप से संबंधित राज्य अधिनियम के लिए समर्पित है।

42. 2019 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण उस पृष्ठभूमि को दर्शाता है जिसमें इसका सहारा लेना उचित समझा गया था

उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल घोषित संबंधित राज्य अधिनियमों को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसा विधायी साधन, जिसमें उनमें संशोधन करना और

इसके तहत पहले से की गई कार्रवाइयों को मान्य करना। 2019 अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा, जो इस प्रकार हैः -

" उचित मुआवजे के अधिकार के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं में

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विकास में पारदर्शिता

पुनर्वास (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2014 (2015 का तमिलनाडु अधिनियम 1), मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने दिनांक 1 के आदेश में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 254 (1) ने अपने संचालन द्वारा तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण अधिनियम, अर्थात् तमिलनाडु हरिजन कल्याण योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1978 (1978 का तमिलनाडु अधिनियम 31), [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तमिलनाडु औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम,

1997 (1999 का तमिलनाडु अधिनियम 10) और तमिलनाडु राजमार्ग

अधिनियम, 2001 (2002 का तमिलनाडु अधिनियम 34) की तारीख को निष्क्रिय

जो भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार है अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (केंद्रीय)

2013 का अधिनियम 30) 27 सितंबर 2013 को बनाया गया था।

नतीजतन, उच्च न्यायालय ने माना है कि सभी अधिग्रहण

27 तारीख को या उसके बाद उक्त तीन तमिलनाडु अधिनियमों के तहत बनाया गया

सितंबर 2013 को अवैध करार देते हुए उन्हें रद्द कर दिया गया और उन भूमि को बचा लिया गया

जिनका उपयोग पहले ही किया जा चुका है और जिसका उद्देश्य

अधिग्रहित की गई भूमि पूरी हो चुकी है।

2. उपरोक्त तीन तमिलनाडु अधिनियमों के तहत, 26 तारीख को और उससे

सितंबर 2013 में, हालांकि 23804 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहित, केवल 1,373 हेक्टेयर को वास्तव में उपयोग में लाया गया है। द.

शेष 22,431 में अधिग्रहण की कार्यवाही जारी है। हेक्टेयर भूमि। इसमें एक अनुमानित मूल्य शामिल है

रु. 1,84,778 करोड़ और परियोजनाएं उत्पादन करने में सक्षम हैं। 1. 83 लाख लोगों को रोजगार। नतीजतन, राज्य राजकोष

कई लोगों को पटरी से उतारने के अलावा भारी मौद्रिक नुकसान होगा

विकासात्मक परियोजनाएं, जिन पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है राज्य की अर्थव्यवस्था।

3. इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है उपरोक्त तीन तमिलनाडु अधिनियमों को पुनर्जीवित करना और लागू करना।

के निर्धारण से संबंधित प्रावधान

क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनर्वास और

के उक्त केंद्रीय अधिनियम 30 के अनुसार बुनियादी सुविधाओं 2013 तमिलनाडु के तहत किए गए भूमि अधिग्रहण के लिए

अधिनियमों और उक्त के तहत पहले से की गई कार्रवाई को मान्य करने के लिए क्रियाएँ। तदनुसार, सरकार ने निर्णय लिया है कि

उपर्युक्त उद्देश्य के लिए कानून बनाना। 4. विधेयक उपरोक्त निर्णय को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।

(जोर दिया गया)

तमिलनाडु में अधिसूचित 2019 अधिनियम के प्रावधान

राजपत्र असाधारण सं. 451 (भाग IV-धारा 2)

2019 , जैसा कि राज्य विधानमंडल और राज्यपाल को भी सराहना की गई

घृणा को दूर करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी

संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम इस प्रकार हैः - .

मोहन राव और ओआरएस। वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" तमिलनाडु विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम 2 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और सामान्य जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः -

2019 का अधिनियम संख्या 38।

तमिलनाडु के संचालन को पुनर्जीवित करने के लिए एक अधिनियम

हरिजन कल्याण योजना अधिनियम, 1978 के लिए भूमि अधिग्रहण, तमिलनाडु औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1997 और तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 2001।

मुआवजे का निर्धारण 26 सितंबर 2013 को और उससे प्रभावी होगा। (2) 1978 के अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी नियम, अधिसूचनाएं, नोटिस, आदेश, निर्देश या कोई अन्य कार्यवाही, उन्हें छोड़कर।

मुआवजे के निर्धारण से संबंधित, जो 26 सितंबर 2013 से तुरंत पहले लागू थे, सभी उद्देश्यों के लिए, 26 सितंबर 2013 को और उससे पुनर्जीवित किया गया माना जाएगा।

(3) के निर्धारण से संबंधित प्रावधान

पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मुआवजे, पुनर्वास

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दूसरी अनुसूची और बुनियादी सुविधाओं में निर्दिष्ट पुनर्वास 1978 के अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पर लागू होगा।

3. इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार [2021] 6 एस. सी. आर. के प्रावधान।

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 इस उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगा।

1978 के अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट और ऐसी कोई भी भूमि सरकार द्वारा केवल 1978 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार।

4. 1978 के अधिनियम की धारा 20 को हटा दिया जाएगा।

5. किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, 1978 के अधिनियम के प्रावधान, मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, 26 सितंबर 2013 को शुरू होने और तमिलनाडु में इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख के साथ समाप्त होने की अवधि के दौरान सभी भौतिक समय में लागू माने जाएंगे।

सरकारी राजपत्र और 1978 के अधिनियम के तहत किया गया कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई, सिवाय उन लोगों के जो इसके निर्धारण से संबंधित हैं

क्षतिपूर्ति को 1978 के अधिनियम के तहत वैध रूप से किया गया या लिया गया माना जाएगा।

भाग-II।

6. (1) तमिलनाडु औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1997 के सभी प्रावधान (इसके बाद संदर्भित)

1999 के अधिनियम के अनुसार), मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, उस पर और उससे प्रभावी होने के साथ पुनर्जीवित किया जाएगा। सितम्बर 2013 का 26 वां दिन।

(2) 1999 के अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी नियम, अधिसूचनाएं, नोटिस, आदेश, निर्देश या कोई अन्य कार्यवाही, उन्हें छोड़कर।

मुआवजे के निर्धारण से संबंधित, जो 26 सितंबर 2013 से तुरंत पहले लागू थे, सभी उद्देश्यों के लिए, यह माना जाएगा कि

26 सितम्बर 2013 का दिन।

(3) के निर्धारण से संबंधित प्रावधान

पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मुआवजे, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट पुनर्वास और पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट बुनियादी सुविधाएं 1999 के अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पर लागू होंगी।

7. इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधान जी. मोहन राव और ओआरएस।

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगा जो 1999 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक है और ऐसी कोई भी भूमि सरकार द्वारा केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाएगीः

1999 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार।

8. 1999 के अधिनियम की धारा 21 को हटा दिया जाएगा।

9. किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, 1999 के अधिनियम के प्रावधान, मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, 26 सितंबर 2013 को शुरू होने और तमिलनाडु में इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख के साथ समाप्त होने की अवधि के दौरान सभी भौतिक समय में लागू माने जाएंगे। सरकारी राजपत्र, और 1999 के अधिनियम के तहत किया गया कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई, सिवाय उनके जो इसके निर्धारण से संबंधित हैं।

क्षतिपूर्ति को 1999 के अधिनियम के तहत वैध रूप से किया गया या लिया गया माना जाएगा।

भाग-III।

10. (1) तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 2001 (इसके बाद 2002 अधिनियम के रूप में संदर्भित) के सभी प्रावधानों को छोड़कर मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधान 26 वें दिन से प्रभावी होंगे।

सितम्बर 2013।

(2) 2002 के अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी नियम, अधिसूचनाएं, नोटिस, आदेश, निर्देश या कोई अन्य कार्यवाही, उन्हें छोड़कर।

मुआवजे के निर्धारण से संबंधित, जो 26 सितंबर 2013 से तुरंत पहले लागू थे, सभी उद्देश्यों के लिए, यह माना जाएगा कि

26 सितम्बर 2013 का दिन।

(3) के निर्धारण से संबंधित प्रावधान

पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मुआवजे, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट पुनर्वास और पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट बुनियादी सुविधाएं 2002 के अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पर लागू होंगी।
11. इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार [2021] 6 एस. सी. आर. के प्रावधान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 किसी भी ऐसी भूमि पर लागू नहीं होगा जो 2002 अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक है और ऐसी कोई भी भूमि सरकार द्वारा केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाएगीः

2002 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार।

12. 2002 के अधिनियम की धारा 68 को हटा दिया जाएगा।
13. किसी भी निर्णय में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, किसी भी अदालत की डिक्री या आदेश, 2002 अधिनियम के प्रावधान, 26 सितंबर 2013 को शुरू होने और तमिलनाडु में इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख के साथ समाप्त होने वाली अवधि के दौरान सभी भौतिक समय में लागू माना जाएगा। सरकारी राजपत्र और 2002 के अधिनियम के तहत किया गया कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई, सिवाय उन लोगों के जो इसके निर्धारण से संबंधित हैं

क्षतिपूर्ति को 2002 के अधिनियम के तहत वैध रूप से किया गया या लिया गया माना जाएगा।

(राज्यपाल के आदेश से)

सी. गोपी रविकुमार,

सरकार के सचिव (एफ. ए. सी.)

विधि विभाग "।

(जोर दिया गया)

जैसा कि ऊपर कहा गया है, 2019 के अधिनियम के पीछे विधायी इरादा और विशेष रूप से, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के साथ प्रतिकूलता पर काबू पाने के लिए भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा दी गई सहमति, राज्य अधिनियमों के संचालन को पुनर्जीवित करना था, जिन्हें असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया गया था।

संसद और उसी में संशोधन करने के साथ-साथ राज्य प्राधिकरणों द्वारा पहले से की गई कार्रवाइयों को मान्य करना।

43. उदाहरण के लिए, 2019 के अधिनियम के भाग-1 में पुनरूद्धार की बात की गई है।

1978 धारा-2 (1) में अधिनियम, धारा-2 (2) में पारित सभी अधिसूचनाओं, आदेशों आदि का पुनरुद्धार, प्रथम, द्वितीय और तृतीय को शामिल करना।

धारा-2 (3) में 2013 के अधिनियम से 1978 के अधिनियम की अनुसूचियाँ, धारा-3 में खंड को बचाना और धारा-5 में पिछले कार्यों का सत्यापन। 1997 के अधिनियम और 2001 के अधिनियम के भाग-II और III में भी इसी प्रकार का अनुसरण किया गया है।

जी. मोहन राव और ओआरएस। वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उल्लेखनीय है कि 1978 के अधिनियम की धारा 20,1999 के अधिनियम की धारा 21 और 2002 के अधिनियम की धारा 68 को क्रमशः धारा 4,8 द्वारा हटा दिया गया था। और 2019 अधिनियम के 12. समग्र योजना अच्छी तरह से निर्धारित की गई है और किसी भी तरह से गुप्त नहीं है ताकि जनादेश पर धोखाधड़ी की जा सके

संविधान। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधित संवैधानिक निकायों यानी विधानसभा, राज्यपाल और राष्ट्रपति ने इस बात को समझ लिया है कि उनके सामने क्या रखा गया है। हम कानून के सार से चिंतित हैं, न कि इसके रूप से।

44. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संदर्भात्मक विधान एक मान्यता प्राप्त रूप है

जब तक यह संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है, तब तक किसी कानून को एक निश्चित तरीके से बनाए जाने के लिए कानून और संविधान असंवैधानिकता नहीं जोड़ता है। गिरनार ट्रेडर्स (3) बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में। , इस न्यायालय ने नोट किया कि कैसे संदर्भ के माध्यम से एक विधान में आयातित प्रावधान सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए स्वयं विधान का एक हिस्सा बन जाते हैं। यह इस प्रकार देखा गयाः

" 89. कानून के विकास के साथ, विधायिका ने अपनाया है मौजूदा प्रावधानों को संदर्भित करने की सामान्य प्रथा

नए कानूनों को लागू करते समय। एक पूर्ववर्ती कानून का संदर्भ

बाद के कानून में प्रावधानों का एक सरल संदर्भ हो सकता है

संदर्भ द्वारा कानून के मामले में, यह काल्पनिक रूप से बनाया गया है। बाद के कानून का एक हिस्सा। .....

(जोर दिया गया)

उजागर प्रिंट्स 42 में, न्यायालय ने प्रभाव का निर्णय करते हुए

किसी विधान में निर्दिष्ट कानून में बाद में किए गए परिवर्तनों में तुरंत उल्लेख किया गया कि कैसे किसी अधिनियम या उसके प्रावधानों को किसी अन्य अधिनियम में संदर्भित करना व्यावहारिक रूप से ऐसे संदर्भ के समय मौजूदा प्रावधानों को फिर से लागू करने के बराबर है। यह इस प्रकार देखा गयाः

" 93. संदर्भात्मक विधान दो प्रकार के होते हैं। एक वह जगह है जहाँ पहले

अधिनियम या इसके कुछ प्रावधानों को संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है

बाद में अधिनियम। इस स्थिति में, पूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधान या जो इस प्रकार निगमित हैं, जैसा कि वे पूर्ववर्ती अधिनियम में हैं

निगमन के समय को बाद के अधिनियम में पढ़ा जाएगा।

पूर्ववर्ती अधिनियम या निगमित अधिनियम में बाद में परिवर्तन

41 (2011) 3 एससीसी 1 42 फुटनोट संख्या 34 [2021] 6 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

प्रावधानों को नजरअंदाज करना होगा क्योंकि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, पूर्ववर्ती अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में

बाद वाले में इस तरह के संदर्भ द्वारा फिर से अधिनियमित किया गया, जिससे अप्रासंगिक हो जाता है कि उसके बाद पहले के क़ानून का क्या होता है।

(जोर दिया गया)

कृष्ण चंद्र गंगोपाध्याय में, न्यायालय ने

यह स्वीकार किया कि निगमन द्वारा विधान के लिए कोई संवैधानिक अवरोध नहीं है और इसे पूर्ण प्राधिकरणों (इस मामले में राज्य विधानमंडल) के साथ पहने गए उपकरणों को संवैधानिक कानून द्वारा दी गई शक्ति के अनुसार पाया गया। प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैः

ग्वालियर रेयॉन का कर्नेल "प्रतिनिधि मंडल का दायरा है विधायिकाओं, और गोद लेने द्वारा कानून का संदर्भ या

निगमन क्षमता का समर्थन करता है और नहीं करता है

इस तरह की प्रक्रिया की शक्तियों का खंडन करें-असामान्य नहीं

विधायी प्रणालियों में घटना और न ही इसके विपरीत

संवैधानिक कानून के पास कई शक्तियाँ हैं ऐसे परिधानों को स्वीकार किए गए क्षेत्राधिकार

पूर्ण अधिकार के साथ। भारतीय विधानमंडलों और न्यायालयों ने

अधिनियमन के खिलाफ किसी भी अवरोध या सीमा को कभी स्वीकार नहीं किया

निगमन द्वारा, इस प्रकार "।

(जोर दिया गया)

45. ऊपर चर्चा किए गए अधिकारी नियम की एक स्पष्ट रेखा का संकेत देते हैं

कि विधायिका की पूर्ण शक्ति सातवीं अनुसूची के संदर्भ में विधान के सार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विधान के रूप के निर्धारण तक भी फैली हुई है। यह कहने के लिए कि विधायी गतिविधि के एक विशेष रूप की अनुमति नहीं है, संविधान में एक मजबूत आधार की आवश्यकता होगी, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा इंगित नहीं किया गया है। संविधान में विधायी क्षमता के अस्तित्व की न्यायिक समीक्षा और कुछ ऐसा अधिनियमित करने के लिए ऐसी क्षमता के उपयोग की परिकल्पना की गई है जो भाग-III या संविधान के अन्य प्रावधानों

का उल्लंघन नहीं करता है। यह परिकल्पना नहीं करता है कि 43 फुटनोट संख्या 27 44 ग्वालियर रेयॉन मिल्स बनाम। आसिस्टेंट। सी. एस. टी., (1974) 4 एस. सी. सी. 98,125-126: 1974 एस. सी. सी. (कर) 226 जी. मोहन राव और ओ. आर. एस.

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

एक कानून की प्रसाधनिक विशेषताओं की समीक्षा जब तक

इस तरह के कानून के सार की जड़ें संविधान में हैं।

46. अब हम इस तर्क पर विचार कर सकते हैं कि 2019 का अधिनियम उच्च न्यायालय द्वारा पाए गए दोषों को दूर नहीं करता है और इस प्रकार इसमें कोई कमी नहीं है। निर्धारक सिद्धांत इस प्रकार इसे मनमाना बनाता है। 2019 का अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा भूमि अधिग्रहण के चार भौतिक पहलुओं को 2013 के अधिनियम के बराबर तीन राज्य अधिनियमों के तहत लाने का एक सचेत प्रयास है, अर्थात, मुआवजा, पुनर्वास, पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद द्वारा बनाए गए कथित कानून की कुछ विशेषताओं को छोड़ दिया गया है, लेकिन यह बहस हमारे विचार में नहीं आती है क्योंकि 1997 के अधिनियम और 2001 के अधिनियम के अधिकार पहले से ही एसएलपी के समूह में विचाराधीन हैं, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है। कहने के लिए

यह कि संसद द्वारा राज्य अधिनियमों में बनाए गए कानून के सभी प्रावधानों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए दोषों को दूर नहीं किया जाता है, उच्च न्यायालय के फैसले का एक स्पष्ट गलत अध्ययन है।

47. जबकि, उच्च न्यायालय का निर्णय मुआवजे/पुनर्वास/पुनर्वास/के अभाव की ओर भी इशारा नहीं करता है।

राज्य अधिनियमों में एक दोष के रूप में बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रावधान। यह कहीं भी राज्य के अधिनियमों के सटीक प्रावधानों की ओर इशारा नहीं करता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल हैं। उच्च न्यायालय द्वारा इंगित एकमात्र दोष धारा 105-ए (01.01.2014 से प्रभावी) की अनिवार्यता थी, जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के कारण एक बार प्रतिकूल (27.09.2013 पर) राज्य अधिनियमों को पुनर्जीवित करने के लिए एक उपकरण के रूप में थी। राज्य को तब से सलाह दी गई है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए उस दोष को स्वीकार करे और उस विचार प्रक्रिया से आगे बढ़कर अनुच्छेद 254 (2) के अनुरूप राज्य अधिनियमों को मान्य करने के लिए एक नया विधायी उपकरण तैयार करना। यदि विधायिका ने उच्च न्यायालय द्वारा अयोग्यता की घोषणा के बाद भी धारा 105-ए को फिर से अधिनियमित किया होता, तो यह उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए दोष को न हटाने का मामला होता। वास्तव में, यह विधायिका द्वारा न्यायालय के फैसले का घोषणात्मक अतिनिर्णय होता, जिसकी, जैसा कि पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, अनुमति नहीं है। 2019 के अधिनियम का प्रभाव कानून को पूर्वव्यापी रूप से बदलना है न कि न्यायालय के फैसले को रद्द करना।

48. कर्नाटक पॉन ब्रोकर में अदालत का आदेश

एसोसिएशन इस मामले में लागू नहीं होता है। यह एक मौलिक रूप से अलग तथ्यात्मक आधार पर आधारित है। उस मामले में, न्यायालय विचार कर रहा था कि

45 फुटनोट संख्या 10 [2021] 6 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

न्यायालय द्वारा जारी परमादेश के स्पष्ट अधिमूल्यांकन की स्थिति। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया है क्योंकि धारा 105-ए का उसी रूप में कोई पुनरुत्थान नहीं किया गया है और यह भी कि 2019 अधिनियम के माध्यम से पुनरुद्धार अनुच्छेद 254 (2) के जनादेश के अनुरूप है। आश्चर्यजनक रूप से, उच्च न्यायालय ने कहीं भी पुनरुद्धार और सत्यापन पर प्रतिबंध जारी नहीं किया। इसने पुनरुद्धार के केवल एक विशेष तरीके को अस्वीकार कर दिया। विशेष रूप से, तमिलनाडु राज्य में इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "यह निर्धारित करने के लिए परीक्षणों में से एक है कि क्या कोई निर्णय रद्द कर दिया गया है, यह देखना है कि क्या कानून और

निर्णय असंगत और अपरिवर्तनीय हैं ताकि दोनों एक साथ खड़े न हो सकें। इस परीक्षण को लागू करते हुए, हम उच्च न्यायालय के फैसले और 2019 अधिनियम के बीच कोई अपरिवर्तनीयता नहीं देखते हैं। 2019 का अधिनियम एक विकास है, जो पहले की स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं है।

49. यहां तक कि श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और ए. एन. आर. में परीक्षण को ध्यान में रखते हुए। बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका और Ors.47, जिसमें कहा गया है कि अंतिम प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या न्यायालय ने वही निर्णय दिया होता यदि परिस्थितियाँ बदली हुई होतीं, हम उच्च न्यायालय के आदेश में कोई संकेत नहीं देखते हैं कि न्यायालय आज भी उसी निर्णय पर पहुँचता। क्योंकि, अनुच्छेद 254 (2) के तहत निर्धारित विधि का अब पालन किया गया है।

अनुच्छेद 254 (2) के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति

50. अब हम इस तर्क को संबोधित कर सकते हैं कि सहमति प्राप्त करते समय राष्ट्रपति को वास्तविक तिरस्कार नहीं दिखाया गया था और इस प्रकार,

अनुच्छेद 254 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया। इसे संबोधित करने के लिए, उत्तरदाताओं ने राज्य सरकार द्वारा लिखित रिकॉर्ड पत्र संख्या 13566/रेव-डी. एफ. जी./2019-1 दिनांक 25.07.2019 प्रस्तुत किया है। राष्ट्रपति की सहमति। इस पत्र में धारा 105-ए को लागू करके राज्य के अधिनियमों को पुनर्जीवित करने के राज्य के असफल प्रयास सहित पूरी तथ्यात्मक स्थिति का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। विभिन्न अधिनियमों में विशिष्ट प्रावधानों के अस्तित्व को विधिवत निर्दिष्ट करने के बाद, विशेष रूप से संबंधित

मुआवजे, पुनर्वास, पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं, पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2019 अधिनियम के कुछ प्रावधानों को 2013 अधिनियम के प्रतिकूल कहा जा सकता है और इस प्रकार, अधिनियम को अनुच्छेद 254 के अनुसार राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जा रहा है। प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार पढ़ता हैः

" 7. विधेयक के प्रावधानों में तमिलनाडु के तीन अधिनियमों, अर्थात् हरिजन के लिए भूमि अधिग्रहण, को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है

46 फुटनोट संख्या 18 पर ऊपर दिया गया है 47 7 (1969) 2 एस. सी. सी. 283 जी. मोहन राव और ओ. आर. एस.

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

कल्याण योजना अधिनियम, 1978 (1978 का तमिलनाडु अधिनियम 31),

तमिलनाडु औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1997

2001 (2002 का तमिलनाडु अधिनियम 34) से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 26 सितंबर, 2013 और उक्त तीन के प्रावधान

तमिलनाडु अधिनियमों को इसके प्रतिकूल कहा जा सकता है

उचित मुआवजे के अधिकार में निहित प्रावधान और

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विकास में पारदर्शिता पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम 30)

समवर्ती पर संसद द्वारा बनाया गया एक पूर्व कानून विषय। अतः यह विधेयक विचार के लिए आरक्षित है -

संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत राष्ट्रपति।

(जोर दिया गया)

51. याचिकाकर्ताओं का तर्क कैसर में निर्णय से उत्पन्न हुआ

आई-हिंद प्रा. Ltd.48 हालाँकि, करीब से जाँच करने पर, हम पाते हैं कि निर्भरता गलत है। उस मामले में, न्यायालय सटीक कानून निर्दिष्ट किए बिना राज्य सरकार द्वारा सहमति की मांग पर विचार कर रहा था संसद द्वारा बनाया गया जो कथित रूप से राज्य के कानून के प्रतिकूल है। इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 254 के अधिदेश में संसद द्वारा बनाए गए एक विशिष्ट कानून पर राज्य के कानून को प्रबल होने की अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष राज्य के कानून को रखने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, सभी के खिलाफ कोई सामान्य सहमति नहीं हो सकती है

संसद द्वारा बनाए गए कानून जो इस विषय पर कार्य करते हैं। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि सहमति की न्यायिक समीक्षा इस बात की जांच करने की अनुमति नहीं देती है कि क्या सहमति सही या गलत या गलत तरीके से दी गई थी। में। अनुच्छेद 25 में इस प्रकार उल्लेख किया गया है:

“ 25. हमारे विचार में, यह पता लगाने के लिए कि क्या सहमति थी

राज्य के विधान और विधान के बीच प्रतिकूलता को देखते हुए

संसद द्वारा बनाया गया पहले का कानून, इसका कोई सवाल ही नहीं है

इस तरह की सहमति की वैधता तय करना और न ही सहमति के अधीन है किसी भी न्यायिक समीक्षा के लिए। कहने का मतलब है, केवल देखना

अभिलेख, जिसके लिए सहमति मांगी गई थी, इसका मतलब यह नहीं होगा कि

न्यायालय यह तय कर रहा है कि क्या सहमति सही है, गलत है
या गलती से दिया गया। न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है
इस हद तक सीमित है कि क्या राज्य ने माँगा है
संसद द्वारा बनाए गए विशेष पूर्ववर्ती कानून या कानूनों को मंजूरी
राज्य में प्रचलित है या इसने सामान्य सहमति मांगी है। में।

48 फुटनोट संख्या 17 [2021] 6 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

ऐसे मामले में, न्यायालय की वैधता तय करने की आवश्यकता नहीं है

" राष्ट्रपति द्वारा दी गई सहमति। वर्तमान मामले में, सहमति

तिरस्कार की सीमा और प्रकृति पर विचार करने के बाद दिया गया था

बॉम्बे किराया अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के बीच

साथ ही प्रेसीडेंसी लघु कारण न्यायालय अधिनियम। इसलिए यह

यह मानना पूरी तरह से अनुचित होगा कि एक बार सहमति दे दी गई है

राष्ट्रपति द्वारा, राज्य का कानून पहले की तुलना में प्रबल होगा

संसद द्वारा अधिनियमित कानून जिसके लिए कोई सहमति नहीं मांगी गई थी

और न ही जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित था।

(जोर दिया गया)

अनुच्छेद के तहत सहमति की जांच के सीमित दायरे को बताना।

254 , न्यायालय ने आगे कहा कि वह इस बात पर भी विचार नहीं कर रहा है कि क्या इसकी सीमा या प्रकृति पर विचार किए बिना सहमति दी गई थी। तिरस्कार और नोट किया कि:

" 27. इस मामले में हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं

सवाल कि राष्ट्रपति की सहमति सही या गलत थी

दिया गया। हम इस सवाल पर भी विचार नहीं कर रहे हैं कि-क्या " की सीमा और प्रकृति पर विचार किए बिना दी गई सहमति

तिरस्कार को बिल्कुल भी सहमति के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ..... "

जे. दोराईस्वामी राजू की समवर्ती राय में

मामले में, उनके लॉर्डशिप ने उसी दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित किया है और यह भी कहा है कि जहां तक अनुच्छेद 254 के तहत सहमति का संबंध है, केवल विधेयक की प्रति की आपूर्ति इसके तहत प्रावधानों को इंगित करने की आवश्यकता को दूर कर सकती है, लेकिन संसद द्वारा बनाया गया कानून जो राज्य के कानून को रास्ता देने की मांग करता है, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। पैराग्राफ 74 में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है:

" 74.विधेयक की एक प्रति को केवल अग्रेषित करने से,

यदि बिल्कुल भी, केवल प्रत्येक प्रावधान को संदर्भित करने की आवश्यकता है उसमें भेजी गई माँग या पत्र में विस्तार से

इसे आगे बढ़ाना, लेकिन इंगित करने की आवश्यकता को मिटाना नहीं विशेष रूप से विशेष केंद्रीय कानून या प्रावधान

इससे पहले एक जानबूझकर और सावधानीपूर्वक विचार प्रक्रिया को भी प्रस्तुत करता है मांगी गई सहमति को स्वीकार करने या न करने का निर्णय लेना।

यदि विचार के लिए राज्य के कानून को संदर्भित करने का उद्देश्य जी. मोहन राव और ओआरएस है।

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

राज्य की प्रधानता हासिल करके अस्वीकृति का समाधान किया गया कानून, राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से प्रकृति और विस्तार पर विचार करना होगा

प्रतिकूलता, व्यवहार्यता, व्यावहारिकता और वांछनीयताएँ इसमें शामिल, हालांकि एक निर्णय लिखने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है

उसी तरह, कानून की अदालतें एक पर पहुंचने से पहले करती हैं

अनुदान देने या देने से इनकार करने या आंशिक रूप से अनुदान देने का निष्कर्ष, यदि -

अस्वीकृति एक से अधिक लागू कानून के संदर्भ में है संसद द्वारा। राज्य के कानून के लिए संरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता है,

जब अदालतों के समक्ष पूछताछ की जाती है, तो सहमति के तहत कवर लेते हुए,

केवल यह दावा करते हुए कि यह सामान्य रूप में था, चाहे जो भी हो वास्तविक तथ्य कि क्या राज्य ने इस तरह के संरक्षण के लिए दावा किया था

एक विशिष्ट कानून या राष्ट्रपति का ध्यान आमंत्रित किया गया था

विशेष केंद्रीय की तुलना में कम से कम एक पकड़ा गया तिरस्कार कानून। .....

99

(जोर दिया गया)

52. वर्तमान मामले में, सहमति मांगने वाला पत्र स्पष्ट रूप से

यह दर्शाता है कि तीन राज्य अधिनियम इस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे

त्वरित अधिग्रहण। इसमें आगे कहा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून ने तीनों अधिनियमों को अप्रिय और अप्रचलित बना दिया। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के कारण। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य का काफी हित है, जिसका सरकारी खजाने पर मजबूत प्रभाव पड़ता है।

तीन राज्य अधिनियमों को बचाने और पुनर्जीवित करने में। यह संसद द्वारा बनाए गए कानून को भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा उचित विचार के लिए राज्य अधिनियमों के रास्ते में आ सकता है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि संचार अनुच्छेद 254 के जनादेश के साथ-साथ कैसर-आई-हिंद प्राइवेट में इस न्यायालय के फैसले के अनुपालन में था। Ltd.4[9] हम इस आधार पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

प्रत्याशित टिप्पणी का प्रभाव

2019 अधिनियम की तिथि

53. अब हम इस तर्क पर विचार कर सकते हैं कि पूर्वव्यापीता

26.09.2013 उस तारीख को 2019 के अधिनियम के लिए घातक था, 2013 का कोई अधिनियम लागू नहीं था और जब 2013 का अधिनियम 27.09.2013 पर लागू हुआ, तो राज्य के अधिनियम फिर से प्रतिकूल हो गए। हमारी नज़र में, यहाँ तक कि यह दलील असमर्थनीय है। क्योंकि, एक कानून को उस दिन "बनाया" जाता है जिस दिन वह राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करता है। संघीय संबंधों पर पूरे अध्याय में संविधान में "निर्मित" या "निर्मित" शब्द का उपयोग किया गया है।

49 फुटनोट संख्या 17 [2021] 6 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

विधायी गतिविधि। कानून बनाने का तात्पर्य एक स्पष्ट रूप से सीमांकित प्रक्रिया से है जो अनुच्छेद 111 के तहत या अनुच्छेद 254 के तहत (यदि एक ही विषय पर कानून बनाया गया है) या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सहमति के साथ समाप्त होती है। विशेष रूप से, अनुच्छेद 111,200 और 254 संवैधानिक रूप से निर्धारित विधायी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इस चर्चा के लिए प्रासंगिक दूसरी अवधारणा "प्रारंभ" की है। कानून की शुरुआत, कानून बनाने के विपरीत, विधायी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बल्कि, यह विधायी प्रक्रिया की सफल पराकाष्ठा की एक शाखा है। दूसरे शब्दों में, प्रारंभ एक ऐसा प्रश्न है जो विधायी प्रक्रिया और इरादे का अनुसरण करता है और इसके साथ ओवरलैप नहीं करता है। कानून की शुरुआत (सहमति) देने की तारीख से, या पिछली तारीख से या भविष्य की तारीख से भी हो सकती है। लेकिन यह इस तथ्य को प्रभावित नहीं करता है कि कानून ने क़ानून की पुस्तक और तिरस्कार से संबंधित प्रावधानों में कदम रखा है।

साथ ही संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के अध्याय के अन्य प्रावधान उस समय से सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि वे बनाने की तारीख से संबंधित हैं। इस प्रकार, जाँच के लिए

प्रतिकृति, समय का प्रासंगिक बिंदु बनाने की तारीख होगी अर्थात,

स्वीकृति की तिथि और प्रारंभ की तिथि नहीं। इस समझ को मार अप्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड 50 में इस न्यायालय के फैसले से इस प्रकार मंजूरी मिलती है:

" 60. ..... हमें अनुच्छेद के प्रावधान में "निर्मित" शब्द को पढ़ना होगा। 254 (2) एक सुसंगत तरीके से।

61.अनुच्छेद 245,246,250 पर उपरोक्त पूरी चर्चा,

251 केवल यह इंगित करने के लिए है कि "बनाया" शब्द को पढ़ना होगा कानून बनाने की प्रक्रिया के संदर्भ में और यदि ऐसा है, तो इसे पढ़ें।

यह स्पष्ट है कि प्रतिकूलता का परीक्षण करने के लिए किसी को निर्माण के अनुसार जाना पड़ता है

कानून का, न कि इसके प्रारंभ से।

(जोर दिया गया)

54. उपरोक्त समझ मूल अवधारणा से उत्पन्न होती है

पूर्वावलोकन। किसी कानून के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग का प्राथमिक उद्देश्य एक अवांछनीय पिछली परिस्थिति को बदलना है और यह उन चीजों पर लागू होता है जो पहले ही हो चुकी हैं। हैल्सबरी के इंग्लैंड के नियमों में, पूर्वव्यापीता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" 921. "पूर्वव्यापी" का अर्थ। कहा गया है कि

" पूर्वव्यापी "कुछ हद तक अस्पष्ट है और यह एक अच्छा सौदा है भ्रम इस तथ्य के कारण हुआ है कि इसका अधिक उपयोग किया जाता है

50 फुटनोट संख्या 26 जी. मोहन राव और ओ. आर. एस.

वी. तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

एक से अधिक इंद्रियां। सामान्य तौर पर, हालांकि, अदालतें मानती हैं कि

यह महसूस करना कि यह प्रभावित करता है, भले ही केवल भविष्य के लिए, चरित्र या पहले किए गए लेन-देन के परिणाम

केवल इसलिए कि यह मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करता है; या यह पूर्वव्यापी है केवल इसलिए कि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकताओं का एक हिस्सा तैयार किया गया है

एक समय पूर्व से लेकर उसके गुजरने तक।

(जोर दिया गया)

इसलिए, पूर्वावलोकन का अंतर्निहित उद्देश्य इलाज करना है।

तीन राज्य अधिनियमों के तहत अधिग्रहण, जो 2013 के अधिनियम के प्रारंभ तक वैध थे, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के कारण रद्द कर दिए गए। यह उस समय मौजूद कानून के आधार को बदलने और 2013 के अधिनियम के बराबर लाभ प्रदान करने के लिए भी था, जहां तक यह राज्य विधानमंडल के विवेक में उपयुक्त था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2019 के अधिनियम को 26.09.2013 से लागू करना विसंगत प्रतीत हो सकता है। 2013 अधिनियम के निर्माण से एक दिन पहले, लेकिन यह इसकी वैधता या इसके सार पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तारीख चुनी गई है।

राज्य विधायिका द्वारा केवल प्रचुर सावधानी के माध्यम से और हमारे विचार में, सही है। यह स्पष्ट रूप से 2013 के अधिनियम के प्रारंभ के अनुरूप प्रतिकूलता को दूर करने के लिए प्रासंगिक है। किसी भी अन्य व्याख्या को अपनाना न केवल संवैधानिक योजना के अनुसार अनुचित होगा, बल्कि पूर्वव्यापी व्याख्या के उद्देश्य पर भी प्रहार करेगा।

अधिनियमन को पुनर्जीवित और मान्य करना। इसके अलावा, यह अप्रत्याशित संघर्षों का एक पेंडोरा बॉक्स खोलेगा।

55. सुनवाई के दौरान और साथ ही लिखित में

याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 14 के तहत समानता के उल्लंघन का मामला स्थापित करने के लिए तीन राज्य अधिनियमों और 2013 अधिनियम के प्रावधानों के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण किया। उत्तरदाताओं ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि इस तरह का दृष्टिकोण अस्वीकार्य है। चाहे जो भी हो, हम इस विवाद को खुला छोड़ रहे हैं क्योंकि यह हमारे विचार के सीमित दायरे से बाहर है। हम इस निर्णय में इसका विस्तार करने से बचना उचित समझते हैं। याचिकाकर्ता यहाँ राज्य अधिनियमों [2021] 6 एस. सी. आर. की वैधता के संबंध में अन्य सभी मुद्दों को उठा सकते हैं जिन पर इस निर्णय में विचार नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टउच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाले लंबित मामले,

उसमें खुद को शामिल करके।

उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम 2019 अधिनियम को विधायी अभ्यास मानते हैं और इसे और के अनुरूप पाते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 और उच्च न्यायालय के फैसले के चार कोने।

इस प्रकार, हम रिट याचिकाओं के वर्तमान समूह को खारिज करते हैं।

वार्ताकार आवेदन, यदि कोई हों, का भी उपरोक्त चर्चा में निपटारा कर दिया जाएगा। हम लागत के बारे में कोई आदेश पारित नहीं करते हैं।

लिखित याचिकाएं खारिज कर दी गईं।